सत्यमेव जयते

लेखे एक नज़र में
2012-13

महालेखा नियंत्रक
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय

लेखे एक नज़र में
2012-13

विषय सूची

भूमिका 3

विहंगावलोकन 4

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 9

वित्तीय विवरण 14

प्राप्तियां 17

व्यय 21

ऋण और अन्य देयताएं 25

विनियोग लेखे 30

परिशिष्ट 35

1. दस वर्षीय सारांश 37
2. करेतर राजस्वों का विवरण 39
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण 40
4. योजनेतर व्यय का विवरण 41
5. वेतन और भत्तों पर व्यय 43
6. आर्थिक सहायताओं का विवरण 49
7. मंत्रालयों और विभागों का व्यय 53
8. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा 68
9. ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग 69

लेखे एक नज़र में
2012-13
भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का दायित्व है। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

वित्त लेखों में सिविल मंत्रालयों और गैर-सिविल मंत्रालयों अर्थात रक्षा, डाक और रेलवे के लेन देनों को शामिल करके संघ सरकार के समग्र लेखे तैयार किए जाते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि, लोक लेखों, लोक ऋण लेखों, अन्य देयताओं और लेखों में यथा अभिलिखित परिसम्पत्तियों से होने वाली प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों सहित संघ सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 114 में निर्धारित किया गया है कि "भारत की समेकित निधि से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राशि को छोड़कर कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी"। विनियोग लेखे संसद द्वारा विभिन्न मांगों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विनियोगों का सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मूल मांग और अंतिम विनियोग और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। सभी सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों को शामिल करके विनियोग लेखे संसद में पेश करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा समेकित किए जा रहे हैं। गैर सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखे सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान संघ सरकार के वित्त लेखे महालेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए। विनियोग लेखे सिविल मंत्रालयों के लिए तैयार किए जाते हैं जिनमें 5 विनियोग और 94 अनुदान शामिल हैं।

लेखे एक नज़र में वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) जिनमें सरकार के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समाविष्ट होते हैं, में दिए गए ब्योरेवार वित्तीय निष्पादन का सार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

विहंगावलोकन

प्राप्ति] व्यय और घाटा*

वर्ष 2012-2013 के दौरान, कुल प्राप्तियां जिनमें उधार की राशियां शामिल हैं ₹1,410,371 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्तियां ₹1,033,424 करोड़ थीं जिनमें से ₹291,547 करोड़ (28.21%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे । केन्द्र द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹741,877 करोड़ था । सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां (निवल अंतरण) ₹920,818 करोड़ थीं।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹1,410,371 करोड़ था । इसमें से, राजस्व व्यय ₹1,243,513 करोड़ (88%) और पूंजीगत व्यय ₹166,858 करोड़ (12%) था । कुल व्यय में योजना व्यय और योजनेतर व्यय का भाग क्रमश: 29% (₹413,627 करोड़) और 71% (₹996,744 करोड़) था।

वित्तीय विशेषताएं 2012-2013
(₹ करोड़)

	विवरण	संशोधित अनुमान 2012-2013	वास्तविक 2012-2013	वास्तविक 2011-2012	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1	**राजस्व प्राप्तियां**	**871,828**	**879,231**	**751,158**	**17%**
2	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	742,115	741,877	629,486	18%
3	करेतर राजस्व	129,713	137,354	121,672	13%
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**38,073**	**40,950**	**36,938**	**11%**
5	कर्जों की वसूलियां	14,073	15,060	18,850	20%
6	अन्य प्राप्तियां	24,000	25,890	18,088	43%
7	**कुल प्राप्तियां (1+4)**	**909,901**	**920,181**	**788,096**	**17%**
8	**योजनेतर व्यय**	**1,001,638**	**996,744**	**891,990**	**12%**
9	राजस्व लेखे पर	919,699	914,308	812,049	13%
10	ब्याज अदायगियां	316,674	313,170	273,150	15%
11	पूंजीगत लेखे पर	81,939	82,436	79,941	3%
12	**योजना व्यय**	**429,187**	**413,627**	**412,375**	**0%**
13	राजस्व लेखे पर	343,373	329,205	333,736	1%
14	राजस्व लेखे पर	85,814	84,422	78,639	7%
15	**कुल व्यय (8+12)**	**1,430,825**	**1,410,371**	**1,304,365**	**8%**
16	राजस्व व्यय (9+13)	1,263,072	1,243,513	1,145,785	9%
17	जिसका, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	124,275	115,710	132,591	13%
18	पूंजीगत व्यय (11+14)	167,753	166,858	158,580	5%
19	राजस्व घाटा (16-1)	391,244	364,282	394,627	8%
20	प्रभावी राजस्व घाटा (19-17)	266,969	248,572	261,036	5%
21	**राजकोषीय घाटा [15-7]**	**520,924**	**490,190**	**516,269**	**5%**
22	प्राथमिक घाटा (21-10)	204,250	177,020	243,119	27%

*इस दस्तावेज में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़े ('वित्तीय विवरण' और 'ऋण और अन्य देयताएं' अध्यायों में दिए गए आंकड़ों को छोड़कर) बजट दस्तावेजों के अनुसार निवलित किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार का सकल कर राजस्व ₹254,348 करोड़ [2003-04] से लगभग चार गुना बढ़कर ₹1,033,424 करोड़ [2012-13] हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, वर्ष 2012-13 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 10.2% था। करेतर राजस्व जोकि वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% था वह वर्ष 2012-13 में कम होकर 1.4% हो गया है।

भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां

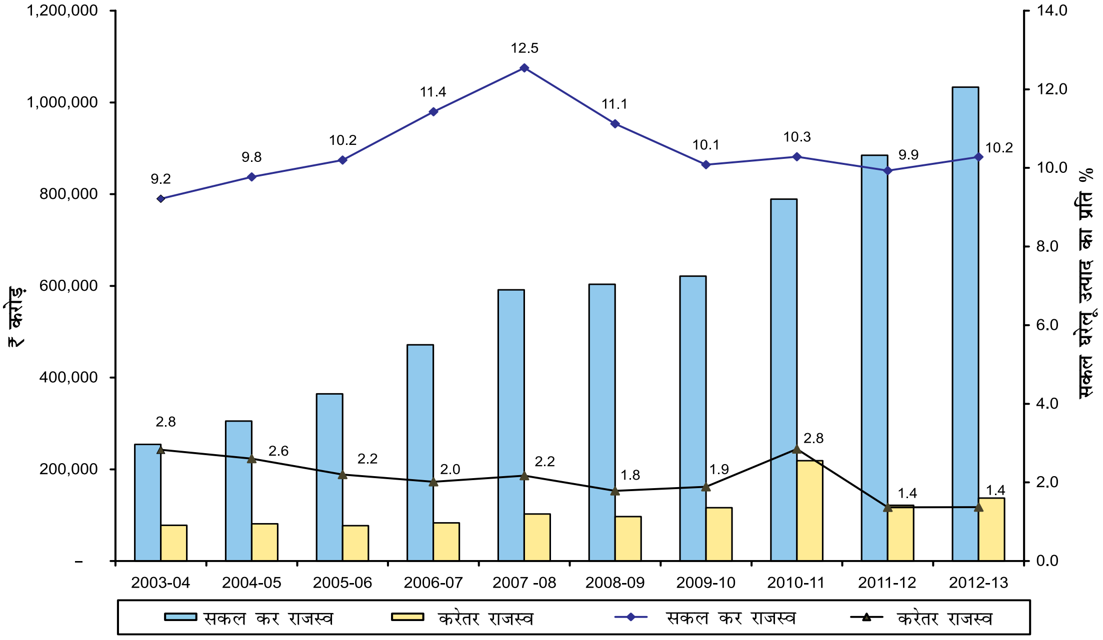

राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के संबंध में, तथापि यह पिछले वर्ष के दौरान 12.9% की अपेक्षा सकल घरेलू उत्पाद का 12.3% था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% था।

भारत सरकार का व्यय

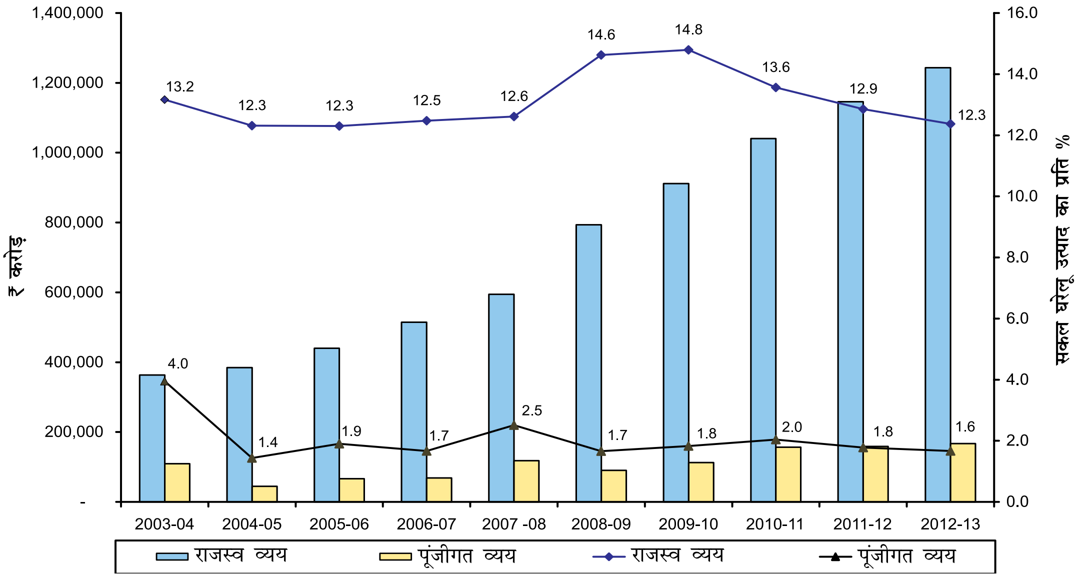

* सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रथम संशोधित अनुमान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की राशि ₹10,113,281 करोड़ मानी गई है।

केन्द्र की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 65% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें ₹490,190 करोड़ का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा ₹364,282 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% था।

भारत सरकार का घाटा

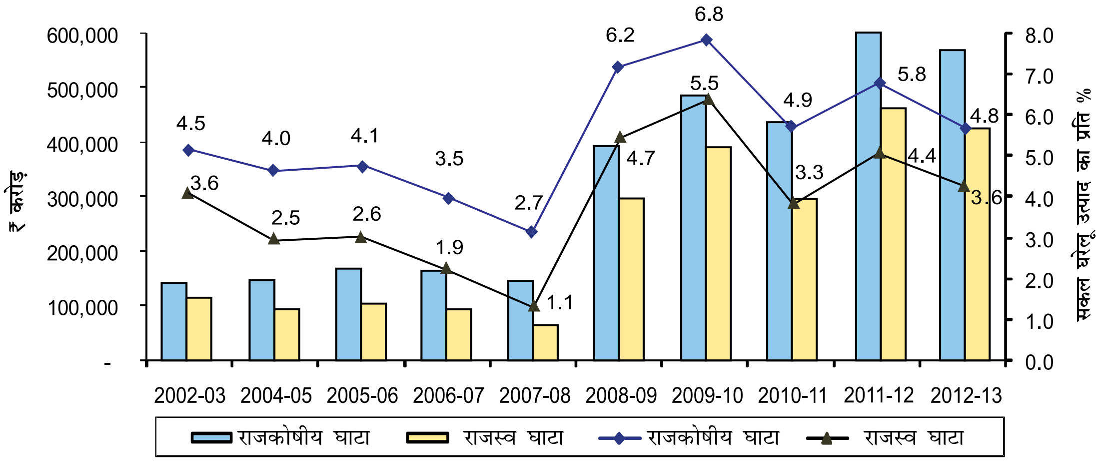

घाटे के वित्तपोषण के स्त्रोत

₹490,190 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से ₹529,621 करोड़ के आंतरिक ऋण और ₹7,201 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाया गया संसाधन घाटे से अधिक होने के कारण रोकड़ शेष में ₹51,012 करोड़ की वृद्धि हुई।

घाटे का वित्तपोषण

(₹ करोड़)

विवरण	2012-13		2011-12	
आंतरिक ऋण	529,621	108%	553,186	107%
बाजार कर्ज	467,356	95%	436,211	85%
खजाना बिल	53,350	11%	126,866	25%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	(-) 4,882	(-)1%	(-)11,988	(-)2%
अन्य	13,797	3%	2,097	0%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	7,201	1%	12,449	2%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	(-) 51,012	(-)10%	(-)15,990	(-)3%
लोक लेखा	4,380	1%	(-)33,376	(-)6%
कुल वित्तपोषण	**490,190**	**100%**	**516,269**	**100%**

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹3,968,038 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के ₹3,426,893 करोड़ चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹541,145 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण ₹3,941,855 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व ₹4,495,838 करोड़ था और कुल देयताएं ₹4,551,871 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन
(₹ करोड़)

विवरण	01-अप्रैल-12	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-13	वृद्धि/कमी
ऋण*	3,400,710	3,968,038	3,426,893	3,941,855	541,145
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	463,889	381,315	375,092	470,112	6,223
ब्याज वाली अन्य देयताएं	74,414	51,034	41,577	83,871	9,457
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	59,464	180,056	183,487	56,033	(-)3,431
कुल ऋण और अन्य देयताएं	**3,998,477**	**4,580,443**	**4,027,049**	**4,551,871**	**553,394**

पिछले दस वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2003-04 में ₹1,325,909 करोड़ था वह वर्ष 2012-13 में तीन गुना होकर ₹4,096,570 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद का 48% था वह घटकर वर्ष 2012-13 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 40.5% हो गया। वर्ष 2012-13 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 37.2% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% था।

भारत सरकार का ऋण

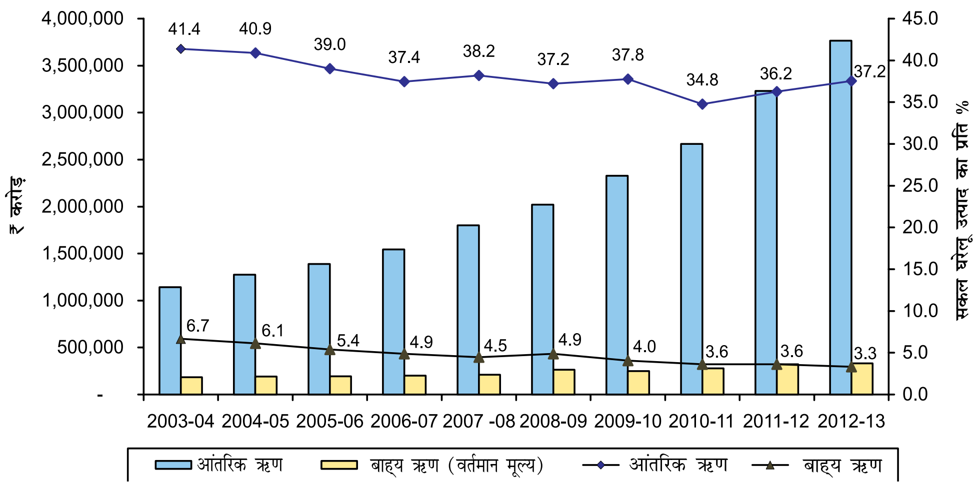

प्राप्तियों और व्यय, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

* बाह्य ऋण (₹177,289 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹332,004 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹4,096,570 करोड़ होती।

** 31-3-2013 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केंद्र सरकार की कुल देयता ₹988,833 करोड़ है। इसमें से, ₹517,221 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹1,500 करोड़ का निवेश आईआईएफसीएल में किया गया है और इस प्रकार इस लेखे में ₹470,112 करोड़ की निवल बकाया देयता रह गई है।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2012-13 के दौरान, सरकार ने ₹920,181 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतरण का निवल) का राजस्व एकत्रित किया और ₹3,963,715 करोड़ का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार, ₹4,883,896 करोड़ थीं। इसमें से, ₹3,426,893 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्अदायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹1,410,371 करोड़ सरकार के चालू कार्यकलापों पर व्यय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, भारत की समेकित निधि में ₹46,632 करोड़ की कमी आई जिसने सरकार के रोकड़ शेष में ₹51,012 करोड़ की वृद्धि हुई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग
(₹ करोड़)

स्रोत			अनुप्रयोग		
	2012-13	2011-12		2012-13	2011-12
राजस्व	**920,181**	**788,096**	**व्यय**	**1,410,371**	**1,304,365**
कर	741,877	629,486	योजना	413,627	412,375
करेतर	137,354	121,672	योजनेतर	996,744	891,990
ऋणेतर पूंजी	40,950	36,938	ब्याज अदायगी	*313,170*	*273,150*
अन्य स्रोत	**3,917,083**	**4,012,198**	**अन्य अनुप्रयोग**	**3,426,893**	**3,495,929**
नया ऋण	3,963,715	4,061,564	ऋण की पुनर्अदायगी	3,426,893	3,495,929
आंतरिक*	*3,940,406*	*4,035,530*	आंतरिक	*3,410,785*	*3,482,343*
बाह्य	*23,309*	*26,034*	बाह्य	*16,108*	*13,586*
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	(-)51,012	(-)15990			
लोक लेखा	4,380	(-)33,376			
जोड़	**4,837,264**	**4,800,294**	**जोड़**	**4,837,264**	**4,800,294**

पिछले वर्ष की तुलना में, सरकार की प्राप्तियों में 18% की वृद्धि हुई और करेतर प्राप्तियों में 13% की कमी आई जिसके कारण सरकार की प्राप्ति में कुल 17% की वृद्धि हुई। सरकारी व्यय में 8% की वृद्धि हुई। जबकि राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा केवल 9% जबकि पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 5% की वृद्धि हुई। योजना व्यय में मामूली-सी वृद्धि हुई जबकि योजनेतर व्यय में 12% की वृद्धि हुई।

* अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं को जारी की गई प्रतिभूतियों का निवल (वर्ष 2012-13 के दौरान ₹4,323 करोड़)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत करना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

(क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

(ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्‌य सहायता, हानियों को बट्‌टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान आदि में परिवर्तित करना)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जो) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता ।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता । भौतिक परिसम्पत्तियों की समय सीमा का अंत होने पर उनकी हानियों अथवा बट्‌टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां/व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जो को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात "8680 - विविध सरकारी लेखे" को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित 'भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक' के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाज़ार अर्थात मुख्यत: बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

प्रारंभिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

योजना एवं योजनेतर व्यय

योजनेतर व्यय एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अनिवार्य स्वरूप के सरकार के सभी व्यय अर्थात ब्याज अदायगियां, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पेंशन प्रभार और सांविधिक अंतरण को शामिल करने के लिए किया जाता है। व्यय का एक भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों अर्थात रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों और राजस्व संग्रहण से संबंधित होता है। अन्य सभी व्यय योजना व्यय होता है। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं । दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं - सामान्य और विशेष।

संशोधित अनुमान/बजट अनुमान/वास्तविक

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यत: वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जो, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जो (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जो की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्अदायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेन देनों को 6-स्तरीय उत्क्रम ढांचे वाले कार्यो एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशत: विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सांविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेन देनों को 'योजना' या 'योजनेतर' व्यय और 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ अल्प बचत
- ❖ आरक्षित निधियां
- ❖ जमा और अग्रिम
- ❖ उचंत और विविध
- ❖ प्रेषण
- ❖ रोकड़ शेष

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण
(₹ करोड़)

	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
देयताएं	**4,537,838**	**3,988,159**
क. लोक ऋण	3,941,855	3,400,710
1. आंतरिक ऋण	3,764,566	3,230,622
2. बाह्य ऋण	177,289	170,088
ख. आकस्मिकता निधि	500	500
ग. लोक लेखे पर देयताएं		
(निवेशों/अग्रिमों का निवल)	595,483	586,949
1. आरक्षित निधियां	26,880	27,291
2. जमा और अग्रिम	98,491	95,769
3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	470,112	463,889
परिसम्पत्तियां	**4,537,838**	**3,988,159**
क. रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	118,451	51,024
1. रोकड़ शेष	68,451	17,440
2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	50,000	33,584
ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	589,989	567,055
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	282,811	253,377
2. कर्ज तथा अग्रिम	235,342	230,435
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	148,900	144,352
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	86,442	86,083
3. उचंत और विविध	71,836	83,242
ग. संचित घाटा*	3,829,398	3,370,080

स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखे (2012-13)

*पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण

(₹ करोड़)

	2012-13	2011-12
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	**1,055,891**	**910,277**
कर राजस्व	**744,914**	**633,704**
करेतर राजस्व	308,666	273,611
सहायता अनुदान	2,311	2,962
अन्य प्राप्तियां	**25,890**	**18,088**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	2,761	401
अन्य	23,129	17,687
कुल प्राप्तियां	**1,081,781**	**928,365**
व्यय		
राजस्व लेखा	**1,420,473**	**1,305,195**
सामान्य सेवाएं	586,927	521,326
सामाजिक सेवाएं	116,712	111,577
आर्थिक सेवाएं	535,434	492,398
सहायता अनुदान	181,400	179,894
पूंजीगत लेखा	**117,531**	**109,757**
सामान्य सेवाएं	79,479	76,178
सामाजिक सेवाएं	5,102	4,583
आर्थिक सेवाएं	32,950	28,996
विविध	**3,484**	**3,584**
कुल व्यय	**1,541,488**	**1,418,536**
पूर्व अवधि समायोजन	**-389**	**377**
घाटा*	**459,318**	**490,548**

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2012-13)

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रेनीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण
(₹ करोड़)

	2012-13	2011-12
प्राप्तियां	**5,737,226**	**5,649,026**
भारत की समेकित निधि	**5,076,442**	**5,028,360**
कर राजस्व	744,914	633,704
करेतर राजस्व	308,666	273,610
सहायता अनुदान और अंशदान	2,311	2,962
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	25,890	18,088
लोक ऋण	3,968,038	4,063,177
कर्ज तथा अग्रिम	26,623	36,818
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
लोक लेखा	**660,784**	**620,667**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	381,315	372,828
आरक्षित निधियां	117,117	108,076
जमा तथा अग्रिम	147,398	128,283
उचंत और विविध	11,832	4,894
प्रेषण	3,122	6,586
संवितरण	**5,686,214**	**5,633,036**
भारत की समेकित निधि	**5,029,811**	**4,978,993**
सामान्य सेवाएं	586,927	521,326
सामाजिक सेवाएं	116,712	111,577
आर्थिक सेवाएं	535,434	492,398
सहायता अनुदान और अंशदान	181,400	179,894
पूंजीगत परिव्यय	150,382	139,465
ऋण की पुनर्अदायगी	3,426,893	3,495,929
कर्ज तथा अग्रिम	32,063	38,404
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
लोक लेखा	**656,403**	**654,043**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	375,092	358,502
आरक्षित निधियां	117,529	102,402
जमा तथा अग्रिम	144,676	133,761
उचंत और विविध	16,275	56,476
प्रेषण	2,831	2,902
संवितरणों पर प्राप्तियां	**51,012**	**15,990**
प्रारंभिक रोकड़ शेष	17,439	1,449
अंत रोकड़ शेष	**68,451**	**17,439**

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों का लगभग 81% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (15%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों (4%) से प्राप्त हुआ। निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत बने रहे जिनका कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों में लगभग 70% अंशदान रहा। ऋणेतर सरकारी प्राप्तियों के मुख्य अंशदाता निगम कर (27%), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (15%), आयकर (15%), सीमा शुल्क (13%), सेवा कर (10%), ब्याज (2%) और लाभांश (6%) हैं।

भारत की समेकित निधि प्राप्तियां (2012-13)

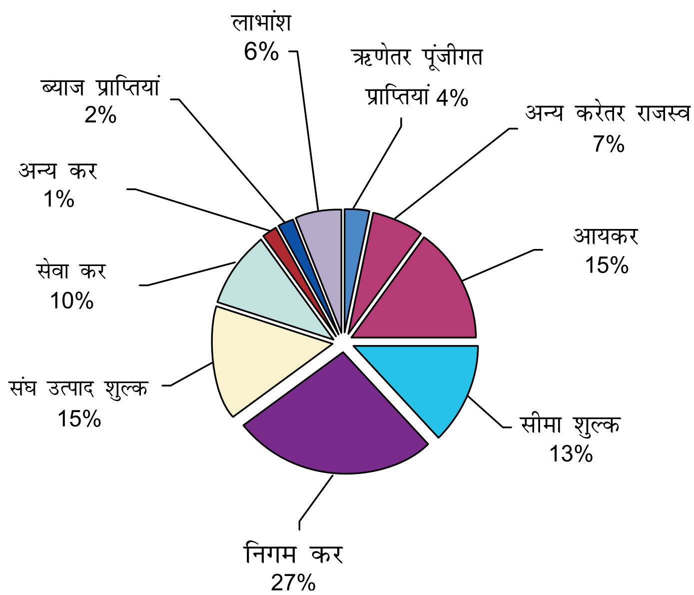

वर्ष 2012-2013 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] ₹920,818 करोड़ थीं- 18% की वृद्धि के साथ कर राजस्व ₹629,486 करोड़ से बढ़कर ₹741,877 करोड़ हो गया जबकि करेतर राजस्व 13% की वृद्धि के साथ ₹121,672 करोड़ से बढ़कर ₹137,354 करोड़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में 17% की वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण प्राप्त किए गए ₹22,647 करोड़ शामिल हैं।

ऋणेतर प्राप्तियां
(₹ करोड़)

विवरण	2012-13	2011-12	वृद्धि
कर राजस्व	741,877	629,486	18%
करेतर राजस्व	137,354	121,672	13%
अन्य प्राप्तियां	40,950	36,938	11%
कुल ऋणेतर प्राप्तियां	**920,181**	**788,096**	**17%**

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2011-12 के ₹629,486 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹741,877 करोड़ हो गया - इसमें ₹112,391 करोड़ [18%] की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धियां सेवा कर (36%), आय कर (20%), धन कर (7%), निगम कर (10%), सीमा शुल्क (11%), संघ उत्पाद शुल्क (21%), में देखी गईं। प्रतिभूति लेनदेन कर में तथापि, 12% की कमी हुई।

कर राजस्व
(₹ करोड़)

विवरण	2012-13			2011-12			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित*	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1. निगम कर	356,326	104,964	251,362	322,816	100,720	222,096	10%
2. आय कर	196,843	62,840	134,003	164,525	51,161	113,364	20%
3. ब्याज कर	6	-	6	3	-	3	100%
4. अनुषंगी हितलाभ कर	-44	-	-44	174	-	174	(-)125%
5. व्यय कर	15	-	15	21	-	21	(-)29%
6. धन कर	844	177	667	787	389	398	7%
7. प्रतिभूति लेनदेन	4,997	-	4,997	5,656	-	5,656	(-)12%
8. बैंकिंग रोकड़ लेनदेन	0	-	0	0	-	0	0%
9. सीमा शुल्क	165,346	48,558	116,788	149,328	44,367	104,961	11%
10. संघ उत्पाद शुल्क	175,845	33,001	142,844	144,901	28,709	116,192	21%
11. सेवा कर	132,601	42,007	90,594	97,509	30,068	67,441	36%
12. अन्य कर	361	-	361	671	-	671	(-)46%
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3,094	-	3,094	2,507	-	2,507	23%
14. एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	(-)2,810	-	(-)2,810	(-)3,998	-	(-)3,998	(-)30%
	1,033,424	**291,547**	**741,877**	**884,900**	**255,414**	**629,486**	**18%**

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यत: ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में प्रोद्भूत होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2011-12 में ₹121,672 करोड़ था वह 2012-13 के दौरान बढ़कर ₹137,354 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹15,682 करोड़ [44%] की वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व
(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2011-12	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
1.	ब्याज प्राप्तियां	20,760	20,252	3%
2.	लाभांश और लाभ	53,761	50,608	6%
3.	संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	1,117	1,015	10%
4.	अन्य करेतर राजस्व	61,716	49,797	24%
	कुल करेतर राजस्व	**137,354**	**121,672**	**13%**

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज मुख्यत: संघ सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान किए गए कर्जों से प्राप्त होता है। यह अकेले कुल ब्याज प्राप्तियों का 24% है। रेलवे (14%) और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (8%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹38,860 करोड़ थीं पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹1,194 करोड़ (3%) की कमी हुई। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में ₹4,915 करोड़ की भारी कमी हुई और रेलवे से ब्याज प्राप्ति में ₹189 करोड़ की कमी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियां जोकि 2011-12 में ₹1,968 करोड़ थीं उनमें वृद्धि हुई और ये 2012-13 में ₹2,998 करोड़ रही हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से ब्याज प्राप्तियों में भी ₹634 करोड़ की कमी आई है।

ब्याज प्राप्तियां (सकल)
(₹ करोड़)

क्र.सं.	स्रोत	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	9,406	10,040	10,496	11,443
2.	रेलवे	5,441	5,630	4,916	5,518
3.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	1,149	6,064	161	162
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	2,998	1,968	5,966	5,382
5.	अन्य	19,866	16,352	13,760	13,344
	कुल	**38,860**	**40,054**	**35,299**	**35,849**

लाभांश

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ₹53,762 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि 2011-12 के दौरान प्राप्त लाभांश की अपेक्षा ₹3,153 करोड़ अधिक है।

लाभांश - मुख्य स्रोत
(₹ करोड़)

क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	30,630	29,034	24,695	20,198
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,282	1,138	1,031	929
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	5,656	5,029	3,354	3,981
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	16,194	15,009	18,759	25,009

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यतः सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। वर्ष 2012-13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹2,761 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रीमियम से ₹22,647 करोड़ की राशि प्राप्त हुई ।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	**स्रोत**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	2,761	401	1,676	2,233
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	22,647	13,627	20,601	21,366
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	482	4,060	569	983
कुल		**25,890**	**18,088**	**22,846**	**24,582**

* संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण और वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर है।

व्यय

वर्ष 2012-2013 के दौरान, सरकार का कुल व्यय ₹1,410,371 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹106,006 करोड़ [8%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹1,243,513 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹97,728 करोड़ [9%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹166,858 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹8,278 करोड़ [5%] की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 12% था।

व्यय
(₹ करोड़)

विवरण	2012-13			2011-12			वर्ष
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	प्रतिवर्ष वृद्धि
राजस्व	**329,205**	**914,308**	**1,243,513**	**333,736**	**812,049**	**1,145,785**	**9%**
सामान्य सेवाएं	532	553,853	554,385	615	490,431	491,046	13%
सामाजिक सेवाएं	91,304	22,597	113,901	86,733	20,846	107,579	6%
आर्थिक सेवाएं	107,192	286,634	393,827	120,181	247,085	367,266	7%
सहायता अनुदान	130,177	51.223	181,400	126,207	53,687	179,894	1%
पूंजीगत	**84,422**	**82,436**	**166,858**	**78,639**	**79,941**	**158,580**	**5%**
सामान्य सेवाएं	4,725	74,753	79,479	4,036	72,143	76,179	4%
सामाजिक सेवाएं	4,882	220	5,102	4,377	197	4,574	12%
आर्थिक सेवाएं	58,421	2,142	60,563	50,120	-299	49,822	22%
कर्ज एवं अग्रिम	16,394	5,320	21,714	20,106	7,900	28,005	(-)22%
कुल व्यय	**413,627**	**996,744**	**1,410,371**	**412,375**	**891,990**	**1,304,365**	**8%**

₹166,858 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय में से ₹145,144 करोड़ (87%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (13%) के रूप में थे।

पूंजीगत व्यय
(₹ करोड़)

	परिसंपत्ति निर्माण		ऋण की पुनर्अदायगी*		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2003-04	35,678	32%	46,211	42%	28,739	26%	110,628
2004-05	40,549	36%	32,675	29%	40,107	35%	113,331
2005-06	53,869	81%			12,493	19%	66,362
2006-07	58,759	85%			10,019	15%	68,778
2007-08	106,940	90%			11,298	10%	118,238
2008-09	75,572	84%			14,586	16%	90,158
2009-10	97,032	86%			15,346	14%	112,378
2010-11	131,620	84%			24,985	16%	156,605
2011-12	130,575	82%			28,005	18%	158,580
2012-13	145,144	87%			21,714	13%	166,858

*नए ऋण में शामिल न किए गए ऋण की पुनर्अदायगी को दर्शाता है।

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹633,864 करोड़ (कुल व्यय का 45%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹119,003 करोड़ (कुल व्यय का 8%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹454,390 करोड़ (कुल व्यय का 32%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹181,400 करोड़ (कुल व्यय का 13%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान ₹21,714 करोड़ (कुल व्यय का 2%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।

व्यय

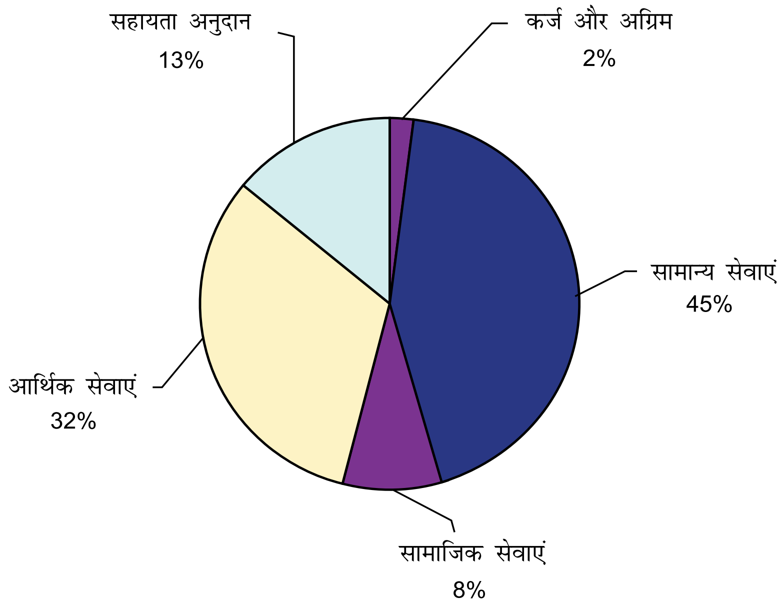

योजना व्यय

2012-13 के दौरान योजना व्यय ₹413,627 करोड़ था। पिछले वर्ष के ₹412,375 करोड़ की तुलना में, योजना व्यय में मामूली वृद्धि हुई।

योजनेतर व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के ₹891,990 करोड़ की तुलना में ₹996,744 करोड़ था जो 12% अधिक था। अकेले ब्याज अदायगियां (₹313,170 करोड़) ही कुल योजनेतर व्यय का 31% लेखाबद्ध की गईं। रक्षा व्यय (₹181,776 करोड़) और आर्थिक सहायताएं (₹257,174 करोड़) योजनेतर व्यय की अन्य प्रमुख मदें थीं।

₹1,000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर हुए व्यय को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

योजनेतर व्यय - मुख्य संघटक (₹ करोड़)					
विवरण	2012-13		2011-12		वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
ब्याज	313,170	31%	273,150	31%	15%
आर्थिक सहायताएं	257,174	26%	217,903	24%	18%
रक्षा	181,776	18%	170,913	19%	6%
पेंशन	69,478	7%	61,166	7%	14%
पुलिस	37,285	4%	33,474	4%	11%
सहायता अनुदान	51,223	5%	53,687	6%	(-) 5%
कर्ज	5,320	1%	7,900	1%	(-) 33%
अन्य	81,318	8%	73,797	8%	11%
कुल	**996,744**	**100%**	**891,990**	**100%**	**12%**

ब्याज अदायगियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई जबकि रक्षा और आर्थिक सहायता पर व्यय में क्रमशः 6% और 18% की वृद्धि हुई। पेंशनों (₹69,478 करोड़) और पुलिस (₹37,285 करोड़) पर व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 14% और 11% की वृद्धि हुई। कर्जों पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि हुई।

आर्थिक सहायता

आर्थिक सहायताओं पर व्यय वर्ष 2011-12 के ₹217,902 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹257,174 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता क्रमशः ₹85,000 करोड़, ₹65,708 करोड़ तथा ₹96,880 करोड़ थी।

मुख्य आर्थिक सहायताएं (₹ करोड़)			
विवरण वृद्धि	2012-13	2011-12	वर्ष प्रतिवर्ष
खाद्य	85,000	72,822	17%
उर्वरक	65,708	70,032	(-) 6%
पेट्रोलियम	96,880	68,481	41%
अन्य	9,586	6,567	46%
कुल	**257,174**	**217,902**	**18%**

खाद्य आर्थिक सहायता में 17% की वृद्धि हुई और उर्वरक आर्थिक सहायता में 6% की कमी हुई जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता में 41% की व्यापक वृद्धि हुई। अन्य मदों पर ब्याज सहायता बिल में, 46% की वृद्धि हुई।

ब्याज सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,221 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक किसानों को अल्पकालिक ऋण (₹5,400 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए दी गई आर्थिक सहायता थी। अन्य आर्थिक सहायता भी 2011-12 में ₹1,573 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹2,316 करोड़ हो गई।

---

1. संघ सरकार के योजनेतर व्यय के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-4 पर है। वेतन एवं भत्ते योजनेतर व्यय के महत्त्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार/विभाग-वार दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-5 पर है।
2. आर्थिक सहायताओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।

निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं होती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, सरकार ने ₹32,064 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्अदायगी के रूप में ₹26,623 करोड़ प्राप्त किए। इस प्रकार, अग्रिमों के स्टाक में ₹5,441 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज ₹235,342 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार
(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	01-अप्रैल-12	वृद्धियां	प्राप्तियां	31 मार्च 13	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	143,547	10,661	9,396	144,812	1,265
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	804	3,399	115	4,088	3,284
3.	विदेशी सरकारें	4,978	1,838	277	6,539	1,561
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	79,677	15,982	16,486	79,173	(-)504
5.	सरकारी कर्मचारी	895	184	349	730	(-)165
	कुल	**229,901**	**32,064**	**26,623**	**235,342**	**5,441**

निवेश

वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹32,851 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹400,781 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश
(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	सांविधिक निगम	6,502
2.	सरकारी कंपनियां	263,136
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	57,847
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	73,019
5.	सहकारी समितियां	277
	कुल	**400,781**

योजनागत और योजनेतर व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्योरे परिशिष्ट-7 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2013 को सरकार की कुल देयताएं ₹4,551,871 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹3,764,566 करोड़ (83%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹177,289 करोड़ (4%) और अन्य देयताएं ₹610,016 करोड़* (13%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं

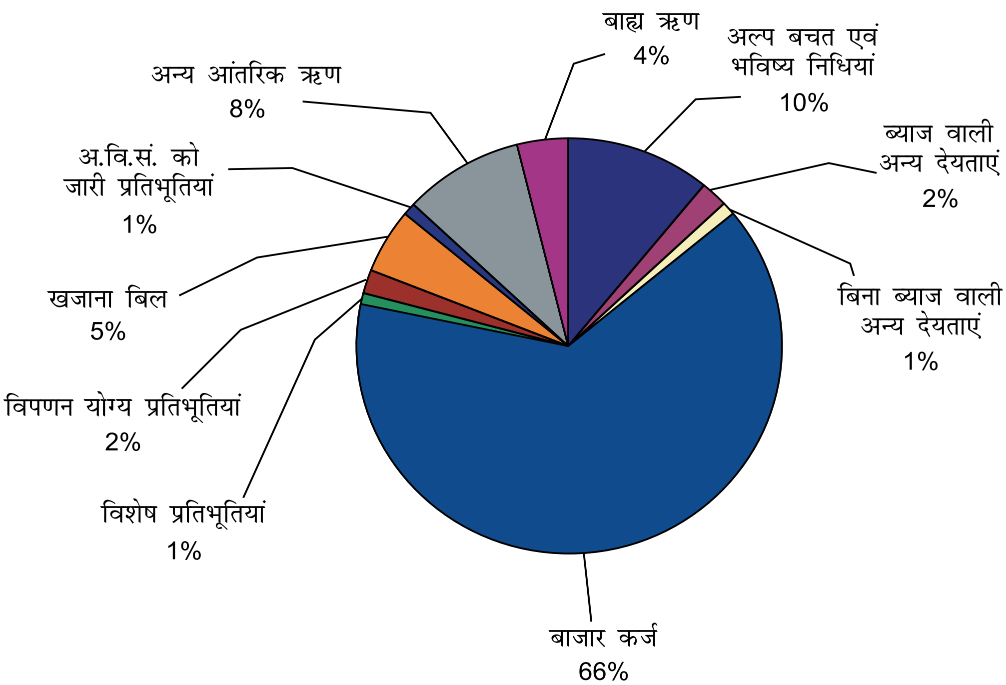

31 मार्च, 2013 को कुल लोक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹3,941,855 करोड़ था। लोक ऋण जोकि वर्ष के आरंभ में ₹3,400,710 करोड़ था उसमें वर्ष के दौरान 16% की वृद्धि हुई। लोक ऋण 31.3.2013 को चालू विनिमय दर पर ₹4,096,570 करोड़ था जबकि 31.3.2012 को यह ₹3,553,519 करोड़ था।

*31.3.2013 को लोक लेखे मे केंद्र सरकार की कुल देयता ₹1,128,737 करोड़ थी। इसमें से, ₹517,221 करोड़ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹1,500 करोड़ आईआईएफसीएल में निवेश किए गए और इस प्रकार इस संबंध में ₹610,016 करोड़ की बकाया निवल देयता है।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केंद्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण का कुल स्टॉक, ₹3,230,622 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹3,764,566 करोड़ हो गया। बाजार कर्ज में ₹467,356 करोड़ की वृद्धि होकर ₹2,984,309 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण
(₹ करोड़)

स्रोत	01 अप्रैल 12	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 13	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	2,516,953	558,000	90,644	2,984,309	467,356
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	29,625	4,323	1,722	32,226	2,601
364 दिन के खजाना बिल	90,378	130,471	90,382	130,467	40,089
अर्थोपाय अग्रिम	-	124,648	124,648	-	-
14 दिन के खजाना बिल	97,800	2,437,546	2,416,966	118,380	20,580
विक्रेय प्रतिभूतियां	76,818	-	-	76,818	-
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	64,569	-	-	64,569	-
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	33,259	-	1,302	31,957	(-)1,302
बाजार स्थिरीकरण स्कीम	-	-	-	-	-
अन्य	321,220	689,741	685,121	325,840	4,620
कुल आंतरिक ऋण	**3,230,622**	**3,944,729**	**3,410,785**	**3,764,566**	**533,944**

बाजार स्थिरीकरण स्कीम को मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के कारण बाजार में उपलब्ध अधिक चल निधि को आमेलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया था। 31.3.2013 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत कोई बकाया शेष नहीं था।

बाह्य ऋण

2012-13 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक [ऐतिहासिक विनिमय दरों पर] ₹177,289 करोड़ है जो कुल बकाया ऋण का 4% है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2013 की स्थिति के अनुसार] यह ₹322,004 करोड़ है - इसमें 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹322,897 करोड़ में ₹9,107 करोड़ की वृद्धि हुई।

ब्याजयुक्त बाजार कर्जों की परिपक्वता विवरणिका परिशिष्ट-8 पर है।

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
स्रोत	01-अप्रैल-12	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-13	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	54,661	5,473	5,075	55,059	398	141,119
जापान	36,207	7,891	4,115	39,983	3,776	73,120
एशियाई विकास बैंक	33,250	4,933	1,536	36,647	3,397	44,301
जर्मनी	2,843	443	901	2,385	(-)458	13,826
आई बी आर डी	38,778	3,072	2,994	38,856	78	48,239
आई एफ ए डी	611	147	60	698	87	1,789
संयुक्त राज्य अमेरिका	(-)227	0	42	(-) 269	(-) 42	1,460
अन्य	3,965	1,350	1,385	3,930	(-) 35	8,150
कुल बाह्य ऋण	**170,088**	**23,309**	**16,108**	**177,289**	**7,201**	**332,004**

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	मुद्रा	01-अप्रैल-12	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-13	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	757	89	28	818	61
जर्मनी	यूरो	202	6	12	196	(-)6
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	890	56	55	891	1
आईडीए	अमरीकी डालर	325	0	25	300	(-)25
आईडीए	एसडीआर	1,518	58	44	1,532	14
जापान	येन	124,310	10,048	6,234	128,124	3,814
रूसी परिसंघ	₹	702	0	27	675	(-)27
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	123	0	17	106	(-)16

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च, 2013 को लोक लेखे में ₹610,016 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹553,983 करोड़ की थीं और शेष ₹56,033 करोड़ की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल-12	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-13	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	463,889	381,315	375,092	470,112	6,223
अन्य ब्याज वाली	74,414	51,034	41,577	83,871	9,457
आरक्षित निधि	2,393	36,714	33,824	5,283	2,890
जमा	72,021	14,320	7,753	78,588	6,567
अन्य बिना ब्याज वाली	59,464	180,056	183,487	56,033	(-)3,431
आरक्षित निधियां	24,899	80,403	83,705	21,597	(-)3,302
जमा	34565	99,654	99,783	34,436	(-)129
कुल	**597,767**	**612,405**	**600,156**	**610,016**	**12,249**

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुन: निवेश किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹24,352 करोड़ था इस अवधि के दौरान निधि की आय [इसके निवेशों पर] और व्यय क्रमश: ₹66,223 करोड़ और ₹80,312 करोड़ था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹8,569 करोड़ की कमी आई। इस प्रकार, इस निधि का शेष जो कि वर्ष के आरंभ में ₹63,233 करोड़ था वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹64,927 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

(₹ करोड़)

विवरण	01-अप्रैल-12	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-13	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	**790,193**	**300,376**	**209,801**	**880,768**	**90,575**
संग्रहण	790,193	234,153	209,801	814,545	24,352
बचत जमा	376,440	168,704	162,040	383,104	6,664
बचत प्रमाण पत्र	209,786	21,091	35,075	195,802	(-)13,984
लोक भविष्य निधि	203,967	44,358	12,686	235,639	31,672
निवेश से आय		66,223		66,223	66,223
बहिर्वाह	**726,960**	**24,047**	**112,928**	**815,841**	**88,881**
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	726,960	24,047	32,616	735,529	8,569
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	208,183	1,303	9,928	216,808	8,625
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	517,277	22,744	22,688	517,221	(-)56
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	1,500	0	0	1,500	0
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय			80,312	80,312	80,312
शेष	**63,233**	**276,329**	**96,873**	**64,927**	**1,694**

31 मार्च, 2013 को इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति, निधि के कुल स्टॉक में ₹814,545 करोड़ की देयताएं थीं, जिसमें से ₹383,104 करोड़ बचत जमाओं के लिए, ₹195,802 करोड़ बचत प्रमाण पत्रों के लिए और ₹235,639 करोड़ लोक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2012-13 के अंत में निधि का निवेश ₹735,529 करोड़ था, जिसमें से ₹517,221 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹216,808 करोड़ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष ₹1,500 करोड़, अन्य लिखतों में निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उनके शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी आदि की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था वह ₹242,915 करोड़ थी। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹233,769 करोड़ की गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2012-13 के लिए गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹36,938 करोड़ है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.37% है। वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल किए गए ₹469 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹608 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां
(₹ करोड़)

	विवरण	31-मार्च-12	31-मार्च-13	वृद्धि/कमी
I	भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज आदि की पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां	67,319	77,597	10,278
II	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जों आदि की पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां	10,795	19,308	8,590
III	मूलधन की पुनर्अदायगी, कर्ज आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति के लिए करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां	118,184	136,254	18,070
IV	कंपनियों/निगमों को पूर्तियों के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति-गारंटियां	610	610	—
V	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	—	—	—
VI	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटिया	—	—	—
VII	अन्य		—	
	कुल	**196,831**	**233,769**	**36,938**

विनियोग लेखे

वर्ष 2012-13 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 99 अनुदानों के अंतर्गत ₹5,264,486 करोड़ के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹80,882 के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹5,345,368 करोड़ कर दिया गया। ₹5,345,368 करोड़ का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में ₹409,811 करोड़ [8%], अधिक था।

इस प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹4,793,466 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹373,909 करोड़ की बचत सहित ₹3,816,396 करोड़ था जबकि स्वीकृत अंश के अंतर्गत व्यय, ₹177,993 करोड़ की बचत सहित ₹977,070 करोड़ था।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार
(₹ करोड़)

	मूल प्रावधान	अंतिम प्रावधान	अंतर	वास्तविक व्यय	अंतर
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)=(4)-(2)
प्रभारित	4,185,430	4,190,305	4,875	3,816,396	(-) 373,909
स्वीकृत	1,079,056	1,155,063	76,007	977,070	(-) 177,993
कुल	**5,264,486**	**5,345,368**	**80,882**	**4,793,466**	**(-) 551,902**

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 20% था, शेष 80% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से ऋण की पुनर्अदायगी (₹3,426,893 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹330,183 करोड़) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (₹55,906 करोड़) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.91% था। विनियोग – "ऋण की पुनर्अदायगी" में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹3,311,674 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व भाग के प्रभारित और स्वीकृत अंश के अंतर्गत कुल प्रावधानों से अधिक व्यय होने के पांच मामले थे। बड़ी मात्रा में अधिक व्यय अनुदान संख्या 21-रक्षा पेंशन और अनुदान संख्या- विनियोग-ब्याज अदायिगियों के अंतर्गत हुआ, जहां प्रावधान क्रमशः ₹3863.71 करोड़ और ₹695.25 करोड़ अधिक हो गया।

समस्त प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़)							
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूंजीगत पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	
21	रक्षा पेंशन						
	izHkkfjr	*0.82*	-	*4.82*	-	*4.00*	-
	स्वीकृत	39499.18	-	43362.89	-	3863.71	-
34	fofu;ksx&C;kt vnk;fx;ka						
	izHkkfjr	*329487.43*	-	*330182.68*	-	*695.25*	-
40	भारतीय लेखा परिक्षा तथा लेखा विभाग						
	स्वीकृत	2561.55	-	2563.61	-	2.06	-
101	शहरी विकास विभाग						
	izHkkfjr	*44.23*	-	*44.61*	-	*0.38*	-

बचत

वर्ष 2012-13 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹556,467 करोड़ की बचत हुई। कुल ₹4,565 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचत (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
01	कृषि और सहकारिता विभाग	राजस्व स्वीकृत	2480	कम प्रस्ताव होने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण।
14	दूरसंचार विभाग	राजस्व स्वीकृत	3985	वायरलेस ब्राडबैंड स्कीम लागू न होने, आपटिकल फाइबर केबल आगमेनटेशन प्राप्त न होने और राष्ट्रीय आपटिकल फाइबर नेटवर्क लागू न होने के कारण।
32	आर्थिक कार्य विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	52110	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान के लिए (प्रतिभूतियों और नकद में) निधियों की आवश्यकता न होने के कारण।
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	राजस्व प्रभारित	13104	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तें पूरी न किए जाने के कारण।
		राजस्व स्वीकृत	21476	जल संसाधन मंत्रालय और योजना आयोग से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, राज्य सरकारों द्वारा मिलान शेयर जारी न किए जाने, परियोजनाएं वापस लिए जाने और जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्कीम लागू करने में विलंब होने और राष्ट्रीय निवेश निधि के अंतर्गत विनिवेश से कम आय होने के कारण।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचत (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
37	ऋण की पुनर्अदायगी	पूंजीगत प्रभारित	359181	बेहतर रोकड़ प्रबंधन की वजह से अर्थोपाय अग्रिम के कम संसाधन होने और रोकड़ प्रबंधन बिलों के अंतर्गत अतिरिक्त रोकड़ शेष उपलब्ध होने की वजह से रोकड़ शेष में अल्पावधि असंतुलन के उद्देश्य के लिए लिखित का उपयोग न किए जाने के कारण।
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	5110	अधिप्राप्ति एजेंसियों के बिल को निपटान न किए जाने, एनवीबीडीसी के अंतर्गत राज्य सोसाइटियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और राज्य पी आई पी के लिए आरसीएच फलेक्सिवल पूल के कारण।
54	पुलिस	पूंजीगत स्वीकृत	2999	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस, एनएसजी, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल के कार्यालय / आवासीय भवन का कार्य पूरा न किए जाने और पूर्ति विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण।
58	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व स्वीकृत	4691	शिक्षा उपकर का कम संग्रहण किए जाने, उत्कृष्टता के मापदंड के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 माडल विद्यालय स्थापित किए जाने संबंधी स्कीम और प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।
59	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व स्वीकृत	4869	आईसीटी के माध्यम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार होने।
75	विद्युत मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	9200	अव्ययित शेष उपलब्ध होने और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजन के अंतर्गत कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति होने और विनिवेश के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण।
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	2836	सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव के अंतर्गत विस्तारित मानसून मौसम की वजह से कार्य लक्ष्यों में संशोधन किए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पी बी एफ एफ को अंतरण के अंतर्गत संबंधित एजेंसियों से सांविधिक मंजूरी/पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त न होने के कारण।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचत (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
		राजस्व स्वीकृत	5611	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सांविधिक मंजूरी प्राप्त न होने और विश्व बैंक से कर्ज को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	26267	इंदिरा आवास योजना और स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग का विस्तृत विवरण परिशिष्ट –9 पर है।

परिशिष्ट

1. दस वर्षीय सारांश 37
2. करेतर राजस्वों का विवरण 39
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण 40
4. योजनेतर व्यय का विवरण 41
5. वेतन और भत्तों पर व्यय 43
6. आर्थिक सहायताओं का विवरण 49
7. मंत्रालयों और विभागों का व्यय 53
8. ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता ब्योरा 68
9. ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग 69

परिशिष्ट-1

दस वर्षीय सारांश

(₹ करोड़)

	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
राजस्व प्राप्तियां	265,054	306,013	347,462	434,387	541,925	540,259	572,811	788,471	751,158	879,231
सकल कर राजस्व	254,348	304,958	364,649	471,512	591,347	603,498	621,368	789,172	884,900	1,033,424
निगम कर	63,562	82,680	101,277	144,306	192,911	213,395	244,725	298,688	322,816	356,326
आय कर	41,379	49,258	55,976	75,093	102,644	106,046	122,370	139,102	164,525	196,843
सीमा शुल्क	48,629	57,611	65,067	86,327	104,119	99,879	83,324	135,813	149,328	165 346
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	90,774	99,125	111,226	117,612	123,425	108,402	102,991	137,701	144,901	175,845
सेवा कर	7,891	14,200	23,055	37,597	51,301	60,941	58,422	71,016	97,509	132,601
केन्द्र को निवल कर राजस्व	186,982	224,798	270,264	351,182	439,547	443,319	456,536	569,869	629,486	741,877
करेतर राजस्व	78,072	81,215	77,198	83,205	102,378	96,940	116,275	218,602	121,672	137,354
ब्याज प्राप्तियां	38,538	35,714	22,032	21,371	21,061	20,717	21,783	19,718	20,252	20,760
लाभांश और लाभ	21,160	22,939	25,451	29,309	34,500	38,607	50,250	47,991	50,608	53,761
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	16,953	66,467	12,226	6,426	43,895	6,705	33,194	35,266	36,938	40,950
विनिवेश से आय	16,632	4,364	1,570	0	4,387	22	2,233	1,676	401	2,761
व्यय	472,444	497,682	506,123	583,386	712,732	883,956	1,024,488	1,197,328	1,304,365	1,410,371
योजना व्यय	122,280	132,292	140,638	169,860	205,082	275,235	303,393	379,065	412,375	413,627
योजनेतर व्यय	350,164	365,390	365,485	413,526	507,650	608,721	721,095	818,263	891,990	996,744
राजस्व व्यय	363,316	384,351	439,761	514,608	594,494	793,798	911,810	1,040,723	1,145,785	1,243,513
पूंजीगत व्यय	109,128	44,798	66,362	68,778	118,238	90,158	112,678	156,605	158,580	166,858
उधार ऋणात्मक पुनर्अदायगी	(-)38,497	663	692	-8,672	1,385	1,077	3,382	11,388	1,586	5,441
राजकोषीय घाटा	123,272	125,202	146,435	142,573	126,912	336,992	418,483	373,591	516,269	490,190
राजस्व घाटा	98,262	78,338	92,299	80,221	52,569	253,539	338,999	252,252	394,627	364,282
प्रभावी राजस्व घाटा								164,765	261,036	248,572
प्रारंभिक घाटा	(-)816	(-)1,732	13,805	(-)7,699	(-)44,118	144,788	205,390	139,569	243,119	177,020
लोक ऋण (शेष)	1,325,909	1,467,242	1,583,957	1,746,207	2,009,755	2,283,900	2,577,645	2,945,992	3,553,519	4,096,570
आंतरिक ऋण	1,141,706	1,275,971	1,389,758	1,544,975	1,799,651	2,019,841	2,328,339	2,667,115	3,230,622	3,764,566
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	184,203	191,271	194,199	201,232	210,104	264,059	249,306	278,877	322,897	332,004
भारत सरकार की अन्य देयताएं	333,725	356,037	384,842	438,842	466,602	556,235	583,279	586,457	597,766	610,016
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता										
राजस्व प्राप्तियां	9.6	9.8	9.7	10.5	11.5	10.0	9.3	10.3	8.4	8.7
सकल कर राजस्व	9.2	9.8	10.2	11.4	12.5	11.1	10.1	10.3	9.9	10.2
करेतर राजस्व	2.8	2.6	2.2	2.0	2.2	1.8	1.9	2.8	1.4	1.4
व्यय	17.1	15.9	14.2	14.1	15.1	16.3	16.6	15.6	14.6	13.9
राजस्व व्यय	13.2	12.3	12.3	12.5	12.6	14.6	14.8	13.6	12.9	12.3
पूंजीगत व्यय	4.0	3.6	1.9	1.7	2.5	1.7	1.9	2.0	1.8	1.6
राजकोषीय घाटा	4.5	4.0	4.1	3.5	2.7	6.2	6.8	4.9	5.8	4.8
राजस्व घाटा	3.6	2.5	2.6	1.9	1.1	4.7	5.5	3.3	4.4	3.6
प्रभावी राजस्व घाटा								2.1	2.9	2.5
लोक ऋण	48.0	47.0	44.4	42.3	42.6	42.1	41.8	38.4	39.9	40.5
आंतरिक ऋण	41.4	40.9	39.0	37.5	38.2	37.2	37.8	34.8	36.2	37.2
बाह्य ऋण	6.7	6.1	5.4	4.9	4.5	4.9	4.0	3.6	3.6	3.3

करेतर राजस्व 2012-13

(₹ करोड़)

	विवरण	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक	2012-13 %	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2011-12 %
क	**ब्याज प्राप्तियां**						
	सकल	35002.23	38845.09	111	34687.21	40030.65	115
	घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	17323.33	17001.06	98	8616.90	13832.22	161
	ब्याज का अधित्याग	1084.03	1084.03	100	5945.72	5946.12	100
	निवल	**16594.87**	**20760.00**	**125**	**20124.59**	**20252.31**	**101**
ख	**लाभांश और लाभ**	**55442.84**	**53760.74**	**97**	**50122.03**	**50608.10**	**101**
ग	**संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व**	**1123.09**	**1117.06**	**99**	**1104.94**	**1014.53**	**92**
घ	**अन्य करेतर राजस्व**						
	राजकोषीय सेवाएं	87.61	786.42	898	129.42	129.38	100
	अन्य सामान्य सेवाएं	13236.37	10391.61	79	13936.55	9137.39	66
	घटाएं- राज्य सरकार को बट्टे खाते डाले गए कर्ज/गारंटी	325.35	231.71	71	2555.00	2088.09	82
	घटाएं-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	1000.00	0.00		1000.00	0.00	0
	निवल	11911.02	10159.90	85	10381.55	7049.30	68
	सामाजिक सेवाएं	1147.42	4765.71	415	2551.78	948.04	37
	आर्थिक सेवाएं -						
	सकल	54758.53	57499.79	105	48914.22	51137.58	105
	घटाएं-पीएसयू को कर्ज की छूट	0.00	0.00	...		9.09	...
	- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां	4.75	5.86	123	17.34	19.31	111
	निवल	54753.78	57493.93	105	48896.88	51109.18	105
	कुल अन्य करेतर राजस्व	**70661.45**	**73205.96**	**104**	**61959.61**	**59235.90**	**96**
	घटाएं						
	वाणिज्यक विभाग	14109.69	13800.14	98	12050.50	12401.04	103
	निवल अन्य करेतर राजस्व	**56551.76**	**59405.82**	**105**	**49909.11**	**46834.86**	**94**
	सहायता अनुदान और अंशदान	2761.62	2310.80	84	3476.59	2962.34	85
	जोड़	**129712.56**	**137354.42**	106	**124737.26**	**121672.14**	98

परिशिष्ट–3

वाणिज्यिक प्राप्तियां 2012–13

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2012-13			2011-12		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
	सामान्य सेवाएं						
1	कैंटीन स्टोर विभाग	10800.00	10111.07	93.62	10800.00	9729.49	90.09
	आर्थिक सेवाएं						
2	दिल्ली दुग्ध योजना	366.46	341.14	93.09	341.70	311.95	91.29
3	अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	440.03	312.74	71.07	432.47	383.93	88.78
4	ईंधन संरचना सुविधाएं*	2133.79	1393.34	65.30	1459.28	1346.82	92.29
5	ईंधन माल सूची*	1950.00	1917.13	98.31	1800.00	1845.25	102.51
6	भारी पानी पूल प्रबंधन*	990.00	990.00	100.00	5900.00	5900.00	100.00
7	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	256.66	262.44	102.25	315.03	420.81	133.58
8	प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	200.00	206.85	103.43	180.00	192.93	107.18
9	डाक प्राप्तियां	8762.75	9366.50	106.89	7522.02	7899.35	105.02
10	भारतीय रेल	128202.23	126180.43	98.42	106646.78	106245.27	99.62
	जोड़	**154101.92**	**151081.64**	**98.04**	**135397.28**	**134275.80**	**99.17**

* इन मामलों में वास्तविक आंकड़े परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं।

परिशिष्ट-4

योजनेतर व्यय 2012-13

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक	2012-13 %	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2011-12 %
क.	**राजस्व व्यय**						
1	ब्याज अदायगियां						
	सकल	*333997.49*	*330170.69*	*98.85*	*284234.60*	*286982.10*	*100.97*
	घटाएं प्रोद्भूत ब्याज	*17323.33*	*17001.06*	*98.14*	*8616.90*	*13832.22*	*160.52*
	निवल	316674.16	313169.63	98.89	275617.70	273149.88	99.10
2	रक्षा	108924.89	111276.65	102.16	104793.00	103010.90	98.30
3	मुख्य आर्थिक सहायताएं (खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम)	247853.97	247588.43	99.89	208502.94	211335.13	101.36
4	ब्याज तथा अन्य आर्थिक सहायताएं	9800.46	9585.80	97.81	7793.79	6567.31	84.26
5	डाक घाटा	5838.06	5385.66	92.25	5573.11	5716.31	102.57
6	पुलिस	37130.97	37285.40	100.42	33301.68	33106.49	99.41
7	पेंशन	63836.41	69478.43	108.84	56190.31	61165.98	108.86
8	आम चुनाव	243.83	232.40	95.31	217.46	188.09	86.49
9	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	20851.10	21530.13	103.26	19177.34	19028.92	99.23
10	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	21303.70	21267.04	99.83	19708.54	21178.54	107.46
11	राज्य आपदा राहत कार्य को सहायता-सकल	4375.00	2810.29	64.24	4525.00	2458.92	54.34
	घटाएं एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से पूरी की गई राशि	4375.00	2810.29	64.24	4525.00	3997.92	88.35
	निवल	0.00	0.00		0.00	-1539.64	
12	रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य रियायतें	3021.23	2923.14	96.75	3250.26	2686.37	82.65

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2012-13			2011-12		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
13	आर्थिक सेवाएं	18943.84	19090.93	100.78	20451.37	18934.57	92.58
14	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	57901.11	47995.40	82.89	55322.34	51523.45	93.13
15	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	4146.83	4271.11	103.00	3734.50	3832.59	102.63
16	विदेशी सरकारों को अनुदान	3228.87	3227.96	99.97	2105.17	2163.15	102.75
	कुल-राजस्व व्यय	**919699.43**	**914308.11**	**99.41**	**815739.51**	**812048.68**	**99.55**
ख.	**पूंजीगत व्यय**						
1	रक्षा	69578.63	70499.12	101.32	66143.81	67902.38	102.66
2	अन्य योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	8101.94	6729.31	83.06	9616.82	4209.31	43.77
3	सार्वजनिक उद्यमों को कर्ज	468.51	1052.44	224.64	593.48	1024.98	172.71
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	3406.92	3406.39	99.98	75.10	72.00	95.87
5	विदेशी सरकारों को कर्ज	700.00	700.00	100.00	250.00	248.31	99.32
6	अन्य योजनेतर कर्ज	-161.00	160.78	-99.86	-175.70	6554.46	-3730.48
7	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	-156.23	-112.16	71.79	-127.46	-70.54	55.34
	कुल-पूंजीगत व्यय	**81938.77**	**82435.88**	**100.61**	**76376.05**	**79940.90**	**104.67**
	कुल	**1001638.20**	**996743.99**	**99.51**	**892115.56**	**891989.58**	**99.99**

परिशिष्ट-5

वर्ष 2012-13 के लिए वेतन और भत्तों पर व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	कृषि मंत्रालय	
1	कृषि और सहकारिता विभाग	204.41
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3.14
3	पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग	119.52
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
4	परमाणु ऊर्जा	2080.21
5	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	26.78
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	12.33
6	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	14.93
7	उर्वरक विभाग	7.78
8	औषध निर्माण विभाग	14.73
	नागर विमानन मंत्रालय	
9	नागर विमानन मंत्रालय	56.89
	कोयला मंत्रालय	
10	कोयला मंत्रालय	16.77
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
11	वाणिज्य विभाग	319.94
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	112.32
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
13	डाक विभाग	10052.69
14	दूरसंचार विभाग	219.79
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	403.95
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
16	उपभोक्ता मामले विभाग	49.41
17	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	49.59

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	75.02
	संस्कृति मंत्रालय	
19	संस्कृति मंत्रालय	258.35
	रक्षा मंत्रालय	
20-21	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1534.70
22-27	रक्षा मंत्रालय (रक्षा)	76710.91
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	14.73
	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	270.33
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	
30	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	150.90
	विदेश मंत्रालय	
31	विदेश मंत्रालय	1061.45
	वित्त मंत्रालय	
32	आर्थिक कार्य विभाग	62.08
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	53.91
38	व्यय विभाग	50.88
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	2236.64
41	राजस्व विभाग	167.18
42	प्रत्यक्ष कर	1998.65
43	अप्रत्यक्ष कर	2728.01
44	विनिवेश विभाग	3.48
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	9.26

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1414.29
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	11.07
49	एड्स नियंत्रण विभाग	1.84
	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
50	भारी उद्योग विभाग	12.02
51	लोक उद्यम विभाग	5.38
	गृह मंत्रालय	
52	गृह मंत्रालय	362.05
53	मंत्रिमंडल	220.82
54	पुलिस	28255.52
55	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	237.28
	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	
57	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	7.58
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
58	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	13.40
59	उच्चतर शिक्षा विभाग	67.54
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	194.12
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
61	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	323.49
	विधि और न्याय मंत्रालय	
62	निर्वाचन आयोग	17.42
63	विधि और न्याय	92.07
64	भारत का उच्चतम न्यायालय	94.73

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
65	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	105.53
	खान मंत्रालय	
66	खान मंत्रालय	485.91
	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	
67	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	9.37
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
68	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	19.91
	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	
69	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	6.97
	पंचायती राज मंत्रालय	
70	पंचायती राज मंत्रालय	5.02
	संसदीय कार्य मंत्रालय	
71	संसदीय कार्य मंत्रालय	6.95
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	
72	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	444.51
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
73	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14.99
	योजना मंत्रालय	
74	योजना मंत्रालय	79.54
	विद्युत मंत्रालय	
75	विद्युत मंत्रालय	80.90
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	
76	राष्ट्रपति सचिवालय	18.14
77	लोकसभा	247.23
78	राज्यसभा	125.62

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
79	संघ लोक सेवा आयोग	70.92
80	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	1.87
	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	361.74
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
82	ग्रामीण विकास विभाग	25.13
83	भू-संसाधन विभाग	5.69
	पेय जल पूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय	
84	पेयजल और स्वास्थ्य विभाग	4.85
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
85	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	301.62
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6.41
87	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	13.49
	पोत परिवहन मंत्रालय	
88	पोत परिवहन मंत्रालय	90.52
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	30.58
	अंतरिक्ष विभाग	
90	अंतरिक्ष विभाग	1075.84
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	243.75
	इस्पात मंत्रालय	
92	इस्पात मंत्रालय	14.48
	वस्त्र मंत्रालय	
93	वस्त्र मंत्रालय	164.38
	पर्यटन मंत्रालय	
94	पर्यटन मंत्रालय	30.48
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
95	जनजातीय कार्य मंत्रालय	10.98

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले)	
96	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1007.41
97	चंडीगढ़	1088.88
98	दादरा एवं नागर हवेली	115.87
99	दमन एवं दीव	92.02
100	लक्षद्वीप	94.13
	शहरी विकास मंत्रालय	
101	शहरी विकास विभाग	250.92
102	लोक निर्माण कार्य	866.50
103	लेखन सामाग्री और मुद्रण	167.25
	जल संसाधन मंत्रालय	
104	जल संसाधन मंत्रालय	409.12
	महिला और बाल विकास मंत्रालय	
105	महिला और बाल विकास मंत्रालय	27.25
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
106	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	15.87
	कुल	**140706.10**

परिशिष्ट-6

आर्थिक सहायताओं का विवरण 2012-13

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
प्रमुख आर्थिक सहायताएं -			**179554.00**	**247853.97**	**247588.43**
खाद्य	17	2408	75000.00	85000.00	85000.00
देशी (यूरिया) उर्वरक	7	2852	19000.00	20000.00	20000.00
आयातित (यूरिया) उर्वरक	7	2401	13398.00	15398.00	15132.46
किसानों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	7	2401	28576.00	30576.10	30576.10
पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता	73	2802	43580.00	96879.87	96879.87
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता			7967.69	7415.88	7270.25
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों के लिए ब्याज सहायता-					
1. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	92	2852	46.90	44.11	44.05
2. मेकन लि.	92	2852	1.64	0.00	0.00
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त की ब्याज सहायता	50	2852	14.00	0.00	0.00
गोअन बैंक को ब्याज सहायता	33	2885	0.04	0.00	0.00
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग-					
1. खादी उद्योगों के लिए	*65*	2851	22.00	0.10	0.00
2. अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए	*65*	2851	5.36	0.10	0.00

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	33	2235	182.25	140.00	99.55
किसानों को अल्पावधि उधार प्रदान करने के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	33	2416	6000.00	5400.00	5400.00
निर्यात संवर्धन के अंतर्गत बैंकों को ब्याज संबंधी सहायता	11	3453	1000.00	1000.00	1000.00
भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता	32	3475	225.00	290.00	290.00
सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	17	2408	30.50	30.50	30.50
नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास कर्ज के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान	33	2885	400.00	500.00	400.00
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को ब्याज सहायता	20	2852	40.00	11.07	6.15
अन्य सहायता (ब्योरे अलग से दिए गए हैं)*			**2493.38**	**2384.58**	**2315.55**

*अन्य आर्थिक सहायता (2012-13)

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
नेफेड को एमआईएस/पीएसएस के लिए अनुदान	1	2401	110.00	90.00	90.00
हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	9	3053	655.00	923.00	907.62
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता	17	2408	17.00	4.00	4.00
आयातित खाद्य तेलों पर हुई हानि के लिए एसटीसी को अदायगी	17	3456	0.01	0.00	0.00
शिपयार्डों को आर्थिक सहायता-					
1. कोचीन शिपयार्ड लि.	88	2852	0.01	0.00	0.00
2. गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड	88	2852	400.00	220.00	220.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	55	3053	60.00	25.00	25.00
असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	6	2852	0.01	0.00	0.00
विनिमय हानि के लिए प्रतिपूर्ति-					
1. एनआरआई बांड स्कीम के अंतर्गत विनिमय हानि	32	3475	0.50	0.00	0.00
कर्जों को बट्टे खाते डालना - एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई और पीडीआईएल	7	3475	0.01	0.01	0.00
बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को आर्थिक सहायता	93	2852	55.00	55.00	55.00
समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	93	2852	200.00	120.53	68.07
चीनी के निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	17	2408	25.00	5.00	4.78
चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम-2007	17	2408	51.73	51.73	51.73

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों की देखरेख में कमी की प्रतिपूर्ति	17	2408	0.01	0.00	0.00
खाद्य तेलों के आयात के लिए आर्थिक सहायता	17	2408	615.09	617.98	617.03
समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को आर्थिक सहायता	33	2235	0.01	0.01	0.00
राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र को सहायता	88	2852	4.00	2.32	2.32
दलहन के आयात पर आर्थिक सहायता	16	2408	300.00	270.00	270.00
कुल - अन्य आर्थिक सहायताएं			**2493.38**	**2384.58**	**2315.55**

परिशिष्ट-7

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2012-13
(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	**कृषि और सहकारिता**	**9467.32**	**9255.34**	**306.62**	**297.66**	**9773.94**	**9553.00**
	राजस्व	9422.03	9213.96	306.02	297.12	9728.05	9511.08
	पूंजीगत	45.29	41.38	0.60	0.54	45.89	41.92
2	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा**	**2520.00**	**2461.44**	**2100.00**	**2048.31**	**4620.00**	**4509.75**
	राजस्व	2520.00	2461.44	2100.00	2048.31	4620.00	4509.75
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन**	**1800.00**	**1716.15**	**78.20**	**75.52**	**1878.20**	**1791.67**
	राजस्व	1783.08	1704.37	78.20	75.52	1861.28	1779.89
	पूंजीगत	16.92	11.78	0.00	0.00	16.92	11.78
4-5	**परमाणु ऊर्जा**	**3175.00**	**3111.64**	**3653.59**	**4359.67**	**6828.59**	**7471.31**
	राजस्व	1154.99	1140.32	2963.36	3697.23	4118.35	4837.55
	पूंजीगत	2020.01	1971.32	690.23	662.44	2710.24	2633.76
6	**रसायन और पेट्रो रसायन**	**1637.00**	**1606.56**	**110.22**	**75.82**	**1747.22**	**1682.38**
	राजस्व	1608.27	1584.86	110.22	75.82	1718.49	1660.68
	पूंजीगत	28.73	21.70	0.00	0.00	28.73	21.70
7	**उर्वरक**	**10.00**	**9.40**	**66000.00**	**65628.87**	**66010.00**	**65638.27**
	राजस्व	9.95	9.40	65999.96	65628.87	66009.91	65638.27
	पूंजीगत	0.05	0.00	0.04	0.00	0.09	0.00
8	**औषध निर्माण**	**85.00**	**51.22**	**36.79**	**36.13**	**121.79**	**87.35**
	राजस्व	75.00	46.22	36.79	36.13	111.79	82.35
	पूंजीगत	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
9	**नागर विमानन**	**6200.00**	**6078.16**	**1008.72**	**991.28**	**7208.72**	**7069.44**
	राजस्व	170.86	66.06	1008.72	991.28	1179.58	1057.34
	पूंजीगत	6029.14	6012.10	0.00	0.00	6029.14	6012.10
10	**कोयला**	**416.00**	**390.76**	**46.03**	**44.30**	**462.03**	**435.06**
	राजस्व	416.00	390.76	46.03	44.32	462.03	435.08
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02
11	**वाणिज्य**	**1800.00**	**1764.37**	**2908.00**	**2878.17**	**4708.00**	**4642.54**
	राजस्व	973.85	940.94	2908.00	2878.17	3881.85	3819.11
	पूंजीगत	826.15	823.43	0.00	0.00	826.15	823.43
12	**औद्योगिक नीति और संवर्धन**	**1200.00**	**1167.05**	**199.26**	**196.84**	**1399.26**	**1363.89**
	राजस्व	1128.40	1108.96	199.26	196.84	1327.66	1305.80
	पूंजीगत	71.60	58.09	0.00	0.00	71.60	58.09
13	**डाक**	**300.00**	**185.21**	**5843.06**	**5386.94**	**6143.06**	**5572.15**
	राजस्व	97.40	40.22	5838.06	5385.66	5935.46	5425.88
	पूंजीगत	202.60	144.99	5.00	1.28	207.60	146.27
14	**दूरसंचार**	**2393.00**	**2383.93**	**5688.88**	**6277.88**	**8081.88**	**8661.81**
	राजस्व	805.70	800.55	5688.88	6277.88	6494.58	7078.43
	पूंजीगत	1587.30	1583.38	0.00	0.00	1587.30	1583.38
15	**सूचना प्रौद्योगिकी**	**2000.00**	**1650.01**	**47.95**	**42.67**	**2047.95**	**1692.68**
	राजस्व	1847.50	1507.14	47.95	42.67	1895.45	1549.81
	पूंजीगत	152.50	142.87	0.00	0.00	152.50	142.87
16	**उपभोक्ता मामले**	**150.00**	**126.40**	**331.30**	**330.31**	**481.30**	**456.71**
	राजस्व	137.83	117.96	331.30	330.31	469.13	448.27
	पूंजीगत	12.17	8.44	0.00	0.00	12.17	8.44

जारी......

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
17	**खाद्य और सार्वजनिक वितरण**	**85.00**	**83.38**	**86141.16**	**86136.42**	**86226.16**	**86219.80**
	राजस्व	61.42	59.86	86141.16	86136.42	86202.58	86196.28
	पूंजीगत	23.58	23.52	0.00	0.00	23.58	23.52
18	**कारपोरेट कार्य**	**28.00**	**24.43**	**201.22**	**181.53**	**229.22**	**205.96**
	राजस्व	8.00	8.00	190.42	173.50	198.42	181.50
	पूंजीगत	20.00	16.43	10.80	8.03	30.80	24.46
19	**संस्कृति**	**864.00**	**802.94**	**586.15**	**584.68**	**1450.15**	**1387.62**
	राजस्व	826.00	775.00	586.15	584.68	1412.15	1359.68
	पूंजीगत	38.00	27.94	0.00	0.00	38.00	27.94
20-21	**रक्षा (सिविल अनुमान)**	**0.00**	**0.00**	**44500.00**	**48866.35**	**44500.00**	**48866.35**
	राजस्व	0.00	0.00	42781.86	47268.70	42781.86	47268.70
	पूंजीगत	0.00	0.00	1718.14	1597.65	1718.14	1597.65
22-27	**रक्षा सेवाएं-सेना**	**0.00**	**0.00**	**178503.52**	**181775.77**	**178503.52**	**181775.77**
	राजस्व	0.00	0.00	108924.89	111276.65	108924.89	111276.65
	पूंजीगत	0.00	0.00	69578.63	70499.12	69578.63	70499.12
28	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास**	**146.50**	**119.60**	**23.60**	**23.49**	**170.10**	**143.09**
	राजस्व	50.50	23.63	19.60	19.49	70.10	43.12
	पूंजीगत	96.00	95.97	4.00	4.00	100.00	99.97
29	**पृथ्वी विज्ञान**	**820.00**	**810.99**	**375.00**	**361.41**	**1195.00**	**1172.40**
	राजस्व	696.95	692.37	374.90	361.34	1071.85	1053.71
	पूंजीगत	123.05	118.62	0.10	0.07	123.15	118.69
30	**पर्यावरण और वन**	**1800.00**	**1624.15**	**199.49**	**129.22**	**1999.49**	**1753.37**
	राजस्व	1735.37	1564.48	183.38	113.39	1918.75	1677.87
	पूंजीगत	64.63	59.67	16.11	15.83	80.74	75.50

(₹ करोड़)

अनुवान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
31	**विदेश मंत्रालय**	**1620.00**	**1614.01**	**8442.00**	**8500.76**	**10062.00**	**10114.77**
	राजस्व	482.00	476.01	7442.00	7497.78	7924.00	7973.79
	पूंजीगत	1138.00	1138.00	1000.00	1002.98	2138.00	2140.98
32	**आर्थिक कार्य**	**3160.00**	**3180.00**	**4243.34**	**3938.72**	**7403.34**	**7118.72**
	राजस्व	2722.45	2722.45	3909.97	3785.19	6632.42	6507.64
	पूंजीगत	437.55	457.55	333.37	153.53	770.92	611.08
33	**वित्तीय सेवाएं**	**14652.00**	**14652.00**	**7160.42**	**6836.47**	**21812.42**	**21488.47**
	राजस्व	0.00	0.00	7159.42	6835.81	7159.42	6835.81
	पूंजीगत	14652.00	14652.00	1.00	0.66	14653.00	14652.66
34-37	**वित्त-ब्याज अदायगियां (विनियोग)**	**0.00**	**0.00**	**371865.96**	**358582.83**	**371865.96**	**358582.83**
	राजस्व	0.00	0.00	372030.96	358748.05	372030.96	358748.05
	पूंजीगत	0.00	0.00	-165.00	-165.22	-165.00	-165.22
38-40	**व्यय**	**2.88**	**2.88**	**21156.34**	**22180.36**	**21159.22**	**22183.24**
	राजस्व	2.88	2.88	21151.34	22175.76	21154.22	22178.64
	पूंजीगत	0.00	0.00	5.00	4.60	5.00	4.60
41-43	**राजस्व**	**0.00**	**0.00**	**7675.40**	**3637.79**	**7675.40**	**7637.79**
	राजस्व	0.00	0.00	7199.66	7196.91	7199.66	7196.91
	पूंजीगत	0.00	0.00	475.74	440.88	475.74	440.88
44	**विनिवेश**	**0.00**	**0.00**	**25.83**	**17.73**	**25.83**	**17.73**
	राजस्व	0.00	0.00	25.83	17.73	25.83	17.73
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
45	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**	**660.00**	**651.70**	**10.16**	**9.57**	**670.16**	**661.27**
	राजस्व	660.00	651.70	10.16	9.57	670.16	661.27
	पूंजीगत	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
46	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	**22000.00**	**20908.19**	**3927.00**	**4225.12**	**25927.00**	**25133.31**
	राजस्व	20507.68	19608.24	3927.00	4225.12	24434.68	23833.36
	पूंजीगत	1492.32	1299.95	0.00	0.00	1492.32	1299.95
47	**आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)**	**670.00**	**580.61**	**191.00**	**134.76**	**861.00**	**715.37**
	राजस्व	669.40	580.61	191.00	134.76	860.40	715.37
	पूंजीगत	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
48	**स्वास्थ्य अनुसंधान**	**464.00**	**460.31**	**261.00**	**260.13**	**725.00**	**720.44**
	राजस्व	464.00	460.31	261.00	260.13	725.00	720.44
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	**एड्स नियंत्रण**	**1759.56**	**1316.07**	**0.00**	**0.00**	**1759.56**	**1316.07**
	राजस्व	1751.56	1314.71	0.00	0.00	1751.56	1314.71
	पूंजीगत	8.00	1.36	0.00	0.00	8.00	1.36
50	**भारी उद्योग**	**406.66**	**404.03**	**377.61**	**358.17**	**784.27**	**762.20**
	राजस्व	345.45	344.03	37.61	23.29	383.06	367.32
	पूंजीगत	61.21	60.00	340.00	334.88	401.21	394.88
51	**सार्वजनिक उद्यम**	**10.00**	**6.17**	**8.99**	**8.55**	**18.99**	**14.72**
	राजस्व	10.00	6.17	8.99	8.55	18.99	14.72
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
52-56	**गृह**	**6828.00**	**6036.03**	**41605.86**	**41742.00**	**48433.86**	**47778.03**
	राजस्व	1932.39	1184.96	39760.23	39983.61	41692.62	41168.57
	पूंजीगत	4895.61	4851.07	1845.63	1758.39	6741.24	6609.46
57	**आवास और शहरी गरीबी निवारण**	**950.00**	**926.74**	**7.34**	**6.44**	**957.34**	**933.18**
	राजस्व	950.00	926.74	7.34	6.44	957.34	933.18
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	**विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता**	**42729.00**	**42821.35**	**2813.00**	**2810.08**	**45542.00**	**45631.43**
	राजस्व	42729.00	42821.35	2813.00	2810.08	45542.00	45631.43
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	**उच्चतर शिक्षा**	**13479.00**	**12703.23**	**7798.00**	**7720.01**	**21277.00**	**20423.24**
	राजस्व	13479.00	12703.23	7798.00	7720.01	21277.00	20423.24
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	**सूचना और प्रसारण**	**676.00**	**611.98**	**2017.40**	**2013.16**	**2693.40**	**2625.14**
	राजस्व	292.71	257.27	2017.40	2013.16	2310.11	2270.43
	पूंजीगत	383.29	354.71	0.00	0.00	383.29	354.71
61	**श्रम और रोजगार**	**2000.00**	**1702.89**	**1943.87**	**1942.48**	**3943.87**	**3645.37**
	राजस्व	1993.90	1697.67	1942.99	1941.81	3936.89	3639.48
	पूंजीगत	6.10	5.22	0.88	0.67	6.98	5.89
62	**निर्वाचन आयोग**	**0.00**	**0.00**	**43.78**	**38.60**	**43.78**	**38.60**
	राजस्व	0.00	0.00	38.78	38.60	38.78	38.60
	पूंजीगत	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
63	**विधि और न्याय**	**825.00**	**787.44**	**424.81**	**395.90**	**1249.81**	**1183.34**
	राजस्व	825.00	787.44	423.79	395.89	1248.79	1183.33
	पूंजीगत	0.00	0.00	1.02	0.01	1.02	0.01
64	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**0.00**	**0.00**	**120.05**	**116.73**	**120.05**	**116.73**
	राजस्व	0.00	0.00	120.05	116.73	120.05	116.73
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**	**2541.95**	**2037.87**	**289.70**	**287.60**	**2831.65**	**2325.47**
	राजस्व	2459.54	1960.07	288.90	287.50	2748.44	2247.57
	पूंजीगत	82.41	77.80	0.80	0.10	83.21	77.90
66	**खान**	**321.59**	**304.91**	**499.95**	**493.35**	**821.54**	**798.26**
	राजस्व	162.42	158.67	499.95	493.35	662.37	652.02
	पूंजीगत	159.17	146.24	0.00	0.00	159.17	146.24
67	**अल्पसंख्यक मामले**	**2200.00**	**2157.98**	**18.26**	**16.31**	**2218.26**	**2174.29**
	राजस्व	2100.36	2058.34	18.26	16.31	2118.62	2074.65
	पूंजीगत	99.64	99.64	0.00	0.00	99.64	99.64
68	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा**	**1150.00**	**1087.13**	**13.47**	**13.14**	**1163.47**	**1100.27**
	राजस्व	1068.80	1006.13	13.47	13.14	1082.27	1019.27
	पूंजीगत	81.20	81.00	0.00	0.00	81.20	81.00
69	**प्रवासी भारतीय कार्य**	**0.00**	**0.00**	**85.00**	**82.92**	**85.00**	**82.92**
	राजस्व	0.00	0.00	75.00	72.79	75.00	72.79
	पूंजीगत	0.00	0.00	10.00	10.13	10.00	10.13

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
70	**पंचायती राज**	**266.00**	**216.54**	**0.66**	**0.54**	**266.66**	**217.08**
	राजस्व	266.00	216.54	0.66	0.54	266.66	217.08
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	**संसदीय कार्य**	**0.00**	**0.00**	**12.15**	**10.51**	**12.15**	**10.51**
	राजस्व	0.00	0.00	12.15	10.51	12.15	10.51
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन**	**167.43**	**149.12**	**668.20**	**671.88**	**835.63**	**821.00**
	राजस्व	104.11	100.93	665.04	668.77	769.15	769.70
	पूंजीगत	63.32	48.19	3.16	3.11	66.48	51.30
73	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**	**10.00**	**0.00**	**97504.10**	**97423.04**	**97514.10**	**97423.04**
	राजस्व	10.00	0.00	97022.60	96941.54	97032.60	96941.54
	पूंजीगत	0.00	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50
74	**योजना**	**1542.00**	**1403.20**	**74.18**	**73.40**	**1616.18**	**1476.60**
	राजस्व	1278.50	1146.00	74.18	73.40	1352.68	1219.40
	पूंजीगत	263.50	257.20	0.00	0.00	263.50	257.20
75	**विद्युत**	**4708.00**	**2327.22**	**3193.93**	**3174.23**	**7901.93**	**5501.45**
	राजस्व	2820.18	639.27	-132.46	-152.16	2687.72	487.11
	पूंजीगत	1887.82	1687.95	3326.39	3326.39	5214.21	5014.34
76-80	**राष्ट्रपति का सचिवालय**	**0.00**	**0.00**	**939.04**	**928.78**	**939.04**	**928.78**
	राजस्व	0.00	0.00	939.04	928.78	939.04	928.78
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
81	**सड़क परिवहन और राजमार्ग**	**15932.81**	**15797.99**	**4532.35**	**4388.24**	**20465.16**	**20186.23**
	राजस्व	12152.17	12159.30	2669.76	2555.51	14821.93	14714.81
	पूंजीगत	3780.64	3638.69	1862.59	1832.73	5643.23	5471.42
82	**ग्रामीण विकास**	**52000.00**	**50142.69**	**44.83**	**44.76**	**52044.83**	**50187.45**
	राजस्व	52000.00	50142.69	44.83	44.76	52044.83	50187.45
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	**भू-संसाधन**	**3000.00**	**2986.40**	**7.20**	**7.14**	**3007.20**	**2993.54**
	राजस्व	3000.00	2986.40	7.20	7.14	3007.20	2993.54
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	**पेयजल और स्वच्छता**	**13000.00**	**12963.41**	**5.26**	**5.22**	**13005.26**	**12968.63**
	राजस्व	13000.00	12963.41	5.26	5.22	13005.26	12968.63
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	**2175.00**	**2138.31**	**375.19**	**376.60**	**2550.19**	**2514.91**
	राजस्व	2148.23	2117.85	374.14	375.62	2522.37	2493.47
	पूंजीगत	26.77	20.46	1.05	0.98	27.82	21.44
86	**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान**	**1555.00**	**1544.84**	**1401.00**	**1400.82**	**2956.00**	**2945.66**
	राजस्व	1555.00	1544.84	1401.00	1400.82	2956.00	2945.66
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	**जैव प्रौद्योगिकी**	**1300.00**	**1267.85**	**15.72**	**14.99**	**1315.72**	**1282.84**
	राजस्व	1300.00	1267.85	15.72	14.99	1315.72	1282.84
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
88	**पोत परिवहन**	**502.00**	**495.15**	**403.00**	**388.66**	**905.00**	**883.81**
	राजस्व	161.28	157.74	491.87	470.16	653.15	627.90
	पूंजीगत	340.72	337.41	-88.87	-81.50	251.85	255.91
89	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता**	**5012.00**	**4848.61**	**93.20**	**91.11**	**5105.20**	**4939.72**
	राजस्व	4809.35	4645.96	93.20	91.11	4902.55	4737.07
	पूंजीगत	202.65	202.65	0.00	0.00	202.65	202.65
90	**अंतरिक्ष**	**3800.00**	**3783.23**	**1080.00**	**1073.05**	**4880.00**	**4856.28**
	राजस्व	1747.97	1741.58	1080.00	1073.05	2827.97	2814.63
	पूंजीगत	2052.03	2041.65	0.00	0.00	2052.03	2041.65
91	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन**	**486.00**	**373.71**	**337.81**	**376.46**	**823.81**	**750.17**
	राजस्व	470.21	363.92	337.81	376.46	808.02	740.38
	पूंजीगत	15.79	9.79	0.00	0.00	15.79	9.79
92	**इस्पात**	**26.49**	**23.28**	**214.48**	**213.21**	**240.97**	**236.49**
	राजस्व	26.49	23.28	214.48	213.21	240.97	236.49
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	**वस्त्र**	**4500.00**	**3615.61**	**810.55**	**757.78**	**5310.55**	**4373.39**
	राजस्व	4469.83	3593.66	708.71	656.01	5178.54	4249.67
	पूंजीगत	30.17	21.95	101.84	101.77	132.01	123.72
94	**पर्यटन**	**950.00**	**768.61**	**70.28**	**68.30**	**1020.28**	**836.91**
	राजस्व	948.00	766.61	70.28	68.30	1018.28	834.91
	पूंजीगत	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
95	**जनजातीय कार्य**	**1427.46**	**1384.14**	**15.55**	**15.94**	**1443.01**	**1400.08**
	राजस्व	1359.36	1316.04	15.55	15.94	1374.91	1331.98
	पूंजीगत	68.10	68.10	0.00	0.00	68.10	68.10
101-103	**शहरी विकास**	**5837.37**	**5776.79**	**2586.27**	**2688.21**	**8423.64**	**8465.00**
	राजस्व	402.45	332.45	2129.82	2204.06	2532.27	2536.51
	पूंजीगत	5434.92	5444.34	456.45	484.15	5891.37	5928.49
104	**जल संसाधन**	**650.00**	**512.99**	**559.85**	**512.01**	**1209.85**	**1025.00**
	राजस्व	536.50	430.98	558.05	515.63	1094.55	946.61
	पूंजीगत	113.50	82.01	1.80	-3.62	115.30	78.39
105	**महिला एवं बाल विकास**	**17180.00**	**16953.07**	**83.00**	**82.65**	**17263.00**	**17035.72**
	राजस्व	17180.00	16953.07	83.00	82.65	17263.00	17035.72
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	**युवा मामले और खेल**	**889.60**	**757.71**	**116.00**	**113.59**	**1005.60**	**871.30**
	राजस्व	888.30	756.60	116.00	113.59	1004.30	870.19
	पूंजीगत	1.30	1.11	0.00	0.00	1.30	1.11
	रेलवे	**24265.00**	**24131.89**	**0.00**	**0.00**	**24265.00**	**24131.89**
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजीगत (शीर्ष 5002 और 5003)	24265.00	24131.89	0.00	0.00	24265.00	24131.89

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
I	*केंद्रीय मंत्रालय/विभाग*						
	कुल	*317184.62*	*304739.01*	*997058.10*	*992000.04*	*1314242.72*	*1296739.05*
	राजस्व	*243771.57*	*232352.45*	*915035.10*	*909523.98*	*1158806.67*	*1141876.43*
	पूंजीगत	*73413.05*	*72386.56*	*82023.00*	*82476.06*	*155436.05*	*154862.62*
II	राज्य योजनाएं (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सहित)						
	कुल	**107147.12**	**104197.40**	**0.00**	**0.00**	**107147.12**	**104197.40**
	राजस्व	**96068.12**	**93492.09**	**0.00**	**0.00**	**96068.12**	**93492.09**
	पूंजीगत	**11079.00**	**10705.31**	**0.00**	**0.00**	**11079.00**	**10705.31**
	राज्य योजनाएं	**105566.54**	**102673.92**	**0.00**	**0.00**	**105566.54**	**102673.92**
	राजस्व	**94566.54**	**92021.22**	**0.00**	**0.00**	**94566.54**	**92021.22**
	पूंजीगत	**11000.00**	**10652.70**	**0.00**	**0.00**	**11000.00**	**10652.70**
1	**कृषि और सहकारिता**	**8400.00**	**8400.00**	**0.00**	**0.00**	**8400.00**	**8400.00**
	राजस्व	8400.00	8400.00	0.00	0.00	8400.00	8400.00
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	**वित्त - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण**	**85543.00**	**82892.44**	**0.00**	**0.00**	**85543.00**	**82892.44**
	राजस्व	74543.00	72239.74	0.00	0.00	74543.00	72239.74
	पूंजीगत	11000.00	10652.70	0.00	0.00	11000.00	10652.70
70	**पंचायती राज**	**3734.00**	**3720.19**	**0.00**	**0.00**	**3734.00**	**3720.19**
	राजस्व	3734.00	3720.19	0.00	0.00	3734.00	3720.19
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
81	**सड़क परिवहन और राजमार्ग**	**2267.00**	**2266.75**	**0.00**	**0.00**	**2267.00**	**2266.75**
	राजस्व	2267.00	2266.75	0.00	0.00	2267.00	2266.75
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन**	**3950.00**	**3722.00**	**0.00**	**0.00**	**3950.00**	**3722.00**
	राजस्व	3950.00	3722.00	0.00	0.00	3950.00	3722.00
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	**जनजातीय मामले**	**1672.54**	**1672.54**	**0.00**	**0.00**	**1672.54**	1672.54
	राजस्व	1672.54	1672.54	0.00	0.00	1672.54	1672.54
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास**	**1580.58**	**1523.48**	**0.00**	**0.00**	**1580.58**	**1523.48**
	राजस्व	1501.58	1470.87	0.00	0.00	1501.58	1470.87
	पूंजीगत	79.00	52.61	0.00	0.00	79.00	52.61
	उत्तर पूर्व क्षेत्र	**805.58**	**732.07**	**0.00**	**0.00**	**805.58**	**732.07**
	राजस्व	726.58	679.46	0.00	0.00	726.58	679.46
	पूंजीगत	79.00	52.61	0.00	0.00	79.00	52.61
	उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	**775.00**	**775.00**	**0.00**	**0.00**	**775.00**	**775.00**
	राजस्व	775.00	775.00	0.00	0.00	775.00	775.00
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	**0.00**	**16.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.41**
	राजस्व	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	16.41
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
III	**संघ राज्य क्षेत्र (क + ख)**	**4855.30**	**4691.18**	**4580.10**	**4743.96**	**9435.40**	**9435.14**
	राजस्व	**3533.02**	**3360.80**	**4664.33**	**4784.14**	**8197.35**	**8144.94**
	पूंजीगत	**1322.28**	**1330.38**	**-84.23**	**-40.18**	**1238.05**	**1290.20**
क	**विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र**	**1478.74**	**1349.17**	**589.50**	**585.00**	**2068.24**	**1934.17**
	राजस्व	1478.74	1349.17	517.50	513.00	1996.24	1862.17
	पूंजीगत	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00
56	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**	**900.00**	**868.73**	**4.50**	**0.00**	**904.50**	**868.73**
	राजस्व	900.00	868.73	4.50	0.00	904.50	868.73
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	**पुदुचेरी**	**578.74**	**480.44**	**585.00**	**585.00**	**1163.74**	**1065.44**
	राजस्व	578.74	480.44	513.00	513.00	1091.74	993.44
	पूंजीगत	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00
ख	**बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र**	**3376.56**	**3342.01**	**3990.60**	**4158.96**	**7367.16**	**7500.97**
	राजस्व	2054.28	2011.63	4146.83	4271.14	6201.11	6282.77
	पूंजीगत	1322.28	1330.38	-156.23	-112.18	1166.05	1218.20
96	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**	**1507.67**	**1484.08**	**1241.34**	**1258.12**	**2749.01**	**2742.20**
	राजस्व	1050.28	1032.59	1227.99	1245.63	2278.27	2278.22
	पूंजीगत	457.39	451.49	13.35	12.49	470.74	463.98
97	**चंडीगढ़**	**624.95**	**623.61**	**2071.89**	**2128.35**	**2696.84**	**2751.96**
	राजस्व	328.11	325.51	2248.99	2257.12	2577.10	2582.63
	पूंजीगत	296.84	298.10	-177.10	-128.77	119.74	169.33

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
98	**दादरा और नगर हवेली**	**567.02**	**564.89**	**108.66**	**109.38**	**675.68**	**674.27**
	राजस्व	337.42	335.08	105.08	105.82	442.50	440.90
	पूंजीगत	229.60	229.81	3.58	3.56	233.18	233.37
99	**दमन और दीव**	**426.75**	**424.89**	**116.00**	**115.94**	**542.75**	**540.83**
	राजस्व	202.61	200.78	115.33	115.27	317.94	316.05
	पूंजीगत	224.14	224.11	0.67	0.67	224.81	224.78
100	**लक्षद्वीप**	**250.17**	**244.54**	**452.71**	**547.17**	**702.88**	**791.71**
	राजस्व	135.86	117.67	449.44	547.30	585.30	664.97
	पूंजीगत	114.31	126.87	3.27	-0.13	117.58	126.74
	IV- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल केन्द्रीय सहायता (II + III)	**112002.42**	**108888.58**	**4580.10**	**4743.96**	**116582.52**	**113632.54**
	राजस्व	**99601.14**	**96852.89**	**4664.33**	**4784.14**	**104265.47**	**101637.03**
	पूंजीगत	**12401.28**	**12035.69**	**-84.23**	**-40.18**	**12317.05**	**11995.51**
	कुल योग (I + IV)	**429187.04**	**413627.59**	**1001638.20**	**996744.00**	**1430825.24**	**1410371.59**
	राजस्व	**343372.71**	**329205.34**	**919699.43**	**914308.12**	**1263072.14**	**1243513.46**
	पूंजीगत	**85814.33**	**84422.25**	**81938.77**	**82435.88**	**167753.10**	**166858.13**

परिशिष्ट-8

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

वर्ष	(₹ करोड़)
31.3.2013 तक परिपक्व होने वाले	70736.13
2014 में परिपक्वता	151861.96
2015 में परिपक्वता	200673.95
2016 में परिपक्वता	187129.85
2017 में परिपक्वता	303886.80
2018 में परिपक्वता	176234.68
2019 में परिपक्वता	118000.00
2020 में परिपक्वता	227000.00
2021 में परिपक्वता	226213.32
2022 में परिपक्वता	304097.02
2023 में परिपक्वता	19000.00
2024 में परिपक्वता	102000.00
2025 में परिपक्वता	59000.00
2026 में परिपक्वता	75000.00
2027 में परिपक्वता	167068.12
2028 में परिपक्वता	26000.00
2030 में परिपक्वता	73000.00
2032 में परिपक्वता	154643.64
2034 में परिपक्वता	60000.00
2035 में परिपक्वता	42350.00
2036 में परिपक्वता	86000.00
2039 में परिपक्वता	13000.00
2040 में परिपक्वता	72000.00
2041 में परिपक्वता	60000.00
2042 में परिपक्वता	9000.00
कुल	**2983895.46**

परिशिष्ट-9

वर्ष 2012-13 के लिए ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
001	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	20466.80		17986.47		2480.33	
002	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	5392.04		4618.64		773.40	
003	पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	2338.60		2140.91		197.69	
004	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	5564.05	3822.32	5330.74	2581.75	233.31	1240.57
005	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	स्वीकृत		567.07		181.33		385.74
006	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	1764.00		1663.22		100.78	
007	उर्वरक विभाग	स्वीकृत		244.04				244.04
008	औषध निर्माण विभाग	स्वीकृत	211.04		82.40		128.64	
009	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	1179.62	6155.82	1057.34	6012.10	122.28	143.72
011	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	4054.85	971.68	3868.09	825.09	186.76	146.59
012	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	स्वीकृत	1494.19		1320.41		173.78	
014	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	11587.39		7602.36		3985.03	
015	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	2877.54		1759.68		1117.86	
016	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	614.42		478.82		135.60	
020	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	14723.46	1874.56	14011.84	1597.65	711.62	276.91

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
028	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**स्वीकृत**	1750.33	349.00	1513.99	227.75	236.34	121.25
029	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**स्वीकृत**	1464.45		1058.45		406.00	
030	पर्यावरण और वन मंत्रालय	**स्वीकृत**	3012.34		1921.19		1091.15	
031	विदेश मंत्रालय	**स्वीकृत**	8288.95	2403.01	7977.90	2142.80	311.05	260.21
032	आर्थिक कार्य विभाग	**स्वीकृत**	9199.72	58961.13	7612.69	6850.79	1587.03	52110.34
033	वित्तीय सेवाएं विभाग	**स्वीकृत**	8535.26	15902.02	7265.10	14652.66	1270.16	1249.36
034	विनियोग-ब्याज अदायगियां	**स्वीकृत**	329487.43		330182.68			
035	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	***प्रभारित*** **स्वीकृत**	58357.46 105786.55	12000.00	45253.42 84310.13	10652.70	13104.04 21476.42	1347.30
037	विनियोग-ऋण की पुनर्अदायगी	***प्रभारित***		3786074.35		3426892.94		359181.41
039	पेंशन	**स्वीकृत**	19710.00		19519.56		190.44	
041	राजस्व विभाग	**स्वीकृत**	1167.05		795.52		371.53	
042	प्रत्यक्ष कर	**स्वीकृत**		809.29		424.51		384.78
043	अप्रत्यक्ष कर	**स्वीकृत**		119.21		9.95		109.26
046	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	**स्वीकृत**	30685.78	2298.32	25575.94	1299.95	5109.84	998.37
047	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग	**स्वीकृत**	1161.23		755.19		406.04	

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
048	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	908.03		720.44		187.59	
049	एड्स नियंत्रण विभाग	स्वीकृत	1751.56		1314.71		436.85	
050	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	558.87		374.09		184.78	
052	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	2925.38		1580.37		1345.01	
054	पुलिस	स्वीकृत		9333.60		6334.39		2999.21
055	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	1725.56		1542.24		183.32	
056	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	2154.89		1849.21		305.68	
057	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	स्वीकृत	1163.01		936.55		226.46	
058	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	70559.80		65868.40		4691.40	
059	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	25379.08		20510.43		4868.65	
060	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत		544.01		354.71		189.30
061	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	4634.46		3826.56		807.90	
063	विधि और न्याय	स्वीकृत	1515.60		1183.62		331.98	
065	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	3071.88		2439.28		632.60	

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
067	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	3054.70		2074.68		980.02	
068	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	1456.48		1162.72		293.76	
070	पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	5350.76		3937.27		1413.49	
074	योजना मंत्रालय	स्वीकृत	1661.23	515.80	1219.42	259.11	441.81	256.69
075	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	10949.40	5464.22	1749.17	5228.58	9200.23	235.64
081	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	22495.36	24643.50	19659.11	19032.60	2836.25	5610.90
082	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	129923.04		103656.25		26266.79	
083	भू-संसाधन विभाग	स्वीकृत	3208.20		2993.54		214.66	
084	पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	14005.25		13079.28		925.97	
085	विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग	स्वीकृत	2842.89		2502.79		340.10	
086	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	3475.10		2945.66		529.44	
087	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	1500.40		1282.84		217.56	
088	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	1403.45	583.09	837.37	365.54	566.08	217.55
089	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	5708.33		4768.85		939.48	

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
090	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	3575.94	3138.22	2814.47	2041.65	761.47	1096.57
091	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	4926.36		4464.86		461.50	
093	वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	7775.70		4261.72		3513.98	
094	पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	1279.98		932.26		347.72	
095	जनजातीय कार्य मंत्रालय	*प्रभारित*	3627.80		2722.11		905.69	
		स्वीकृत	410.21		282.41		127.80	
096	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत		739.25		469.34		269.91
099	दमन और द्वीप	स्वीकृत		350.44		224.78		125.66
100	लक्षद्वीप	स्वीकृत		261.11		128.01		133.10
101	शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	1321.73	6346.84	1089.46	5419.66	232.27	927.18
104	जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	1937.32		971.09		966.23	
105	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	18584.03		17036.81		1547.22	
106	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	स्वीकृत	1150.75		997.81		152.94	

महालेखा नियंत्रक
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय
7वां तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003 (भारत)
दूरभाष : 91-11-24641121, फैक्स : 91-11-24698319
वेबसाइट : www.cga.nic.in